राजस्थान विधान सभा

८७वीं बैठक, बुधवार, दिनांक-२० अक्टूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३५ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०५५

चम्बल नदी की बांध से चम्बल बेरेज बन्ध को क्षति

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Will the Minister for Irrigation be pleased to state:-

(a) Is the Government aware of the damage caused to Storemud Chambal barrage bunds, by the floods of the river Chambal this year ?

(b) If so, to what extent has the damage (in terms of money) been done ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) No damage has been reported.

(b) The question does not arise.

श्री हिम्मतसिंह—इसकी जांच हो सकी या नहीं, या पानी होने के सबब से जांच करना दुश्वार था ?

श्री चन्दनमल वैद—पानी उतर गया है, और पानी उतरने के बाद की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ।

श्री हिम्मतसिंह—उसके ऊपर अब भी पानी है या बन्ध पानी के बाहर निकल गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी हां, जो आज की स्थिति है वही अर्ज की है।

Page No.2

प्रश्न संख्या २०५६

जिला जैसलमेर में पिछड़ी वर्ग को राहत पहुंचाने वाले सन्, १६५१ के कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १६५१ से आज तक पिछड़े वर्गों को राहत पहुंचाने वाले कार्यों में से कोई कार्य जिला जैसलमेर में भी किया गया है ?

(ख) अगर नहीं तो क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग मन्त्री)—(क) जिला जैसलमेर में निम्न लिखित कार्य किये गये :

(१) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।

(२) ६० रु० के टिन शीट अब दिये जावेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हनवन्तसिंह—छात्रवृतियां कितनी दी गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१७ रु० की।

श्री हनवन्तसिंह—क्या १७ रुपये पर्याप्त होते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे तो जिनकी दरख्वास्तें आती हैं उनको ही दिये जाते हैं। वहां की एक भी दरख्वास्त खाली नहीं गई। वहां से प्रार्थना-पत्र कम आये थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक प्रार्थनापत्र भिजवाने की कृपा करें तो ज्यादा लोगों को मिलेगी और किसी की दरख्वास्त नहीं टाली गई।

प्रश्न संख्या २०५७

जयपुर पॉवर हाउस के लिये कोयले का ठेका मंहगे भावों में स्वीकार करना

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.3

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर पॉवर हाउस के कोयले की सप्लाई का ठेका दो फर्मों को ३६।।।)।। रु० फी टन व ३७=) रु० के हिसाब से दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसी कॉलेरी के कोयले का रेट दूसरी फर्मों ने ३६)।। रु० फी टन के हिसाब से दिया था, किन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया ?

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत व अस्वीकृत किस आधार पर किये गए ?

(घ) क्या उपरोक्त ठेके के दिए जाने से सरकार को ।।।) फी टन का नुकसान है और इसके फलस्वरूप लगभग ३६०००) रु० वार्षिक की हानि केवल जयपुर पॉवर हाउस से ही हो रही है ?

(च) क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री)—(क) हां।

(ख) इस सर्त पर कोयले का रेट ३६) फी टन के हिसाब से दिया गया था। लेकिन कोयला वहां के काम का नहीं था, इसलिए ठेका उनको नहीं दिया गया।

(ग) उत्तर (ख) में आ गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सत्य है कि कान्ट्रेक्ट, (Contract) देने के लिये जो इनेलिस्ट कोट किया था…?

श्री चन्दनमल वैद—समझा नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या जिसको कान्ट्रेक्ट दिया उसका कोयला एनेलिसिस हाउस से टेस्ट (test) कर लिया गया था ?

श्री चन्दनमल वैद—उन्होंने जो कोयले का टेन्डर दिया, वह कोयला रिक्वायर्ड नहीं था इस वास्ते उनका टेन्डर स्वोकार नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—जो टेन्डर कोट किया था और जो रेटस कोट किये थे वैसा ही··· (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद—अपने पॉवर हाउस में इस क्वालिटी का चाहिए था कि जिस कोयले में बोलेटाइल मेटर २८ से ३५ के बीच में हो और फ्यूजन प्वाइन्ट ऑफ एश १२. ५० हो, लेकिन उनका फ्यूजन प्वाइन्ट कम था। उनका फ्यूजन प्वाइन्ट १२. २०. से १२. ६० का था जब कि हमको १२. ५० चाहिए था। इस वास्ते उनका टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—वह एक ही कॉलेयरी का कोयला है और एक ही ग्रेड का है।

श्री चन्दनमल वैद—कॉलेयरी एक हो सकती है, लेकिन कोयले की किस्म में, क्वालिटी में फर्क था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो कोयला होगा उसका फ्यूजन प्वाइन्ट ऑफ एश वह १२. २२ से १२. ६६ होगा जब कि हमको १२. ५० का स्पेसिफिकेली चाहिए था। इस वास्ते उनका टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एनेलेसिस कोट किया है, उस ऐनेलेसिस को टेस्ट करके वेरीफाई कर दिया गया था या नहीं। हो सकता है कि एनेलेसिस फर्म ने गलत कोट किया हो।

श्री चन्दनमल वैद—यह कैसे माना जाय कि अगर किसी चीज का टेन्डर १२. ५० का दिया जाय और वह ऐनेलेसिस कोट करे १२. २० से लेकर १२. ६० तक का तो फिर सरकार कैसे बाध्य कर सकती है कि उसको १२. ५० का देना पड़ेगा। गलत कोट किया है तो उसका खमियाज़ा उनको उठाना पड़ता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या कोयले को टेस्ट हाउस में बाकायदा वेरीफाई कराकर फिर कान्ट्रेक्ट दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—वेरीफाई उस कोयले का कराया जा सकता है जो हमने चाहा और जो फर्म ने सप्लाई किया है वह उस किस्म का है या नहीं ? फर्म ने यह कहा कि जो चाहिये वह कोयला नहीं दे सकती, तो फिर एनेलेसिस करवाने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सत्य है कि जयपुर पॉवर हाउस में जो कोयला दिया जा रहा है वह जिस ग्रेड का दिया जा रहा है, वह उस ग्रेड से नहीं मिलता है जो कि कोयला रिजेक्ट कर दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह दूसरी बात है कि जिस एनेलेसिस का कोयला मांगा गया और टेन्डर पर हुआ। उस ग्रेड के ऐनेलेसिस का कोयला रिजेक्ट जरूर हो गया, लेकिन उसी ऐनेलेसिस का लिया जायगा जिस एनेलेसिस की जरूरत होगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सत्य है कि अब जो कोयला बिजलीघर में दिया जारहा है उसका ग्रेड वह नहीं है जो चाहिये। शायद इसलिये रिजेक्ट कर दिया गया है?

श्री चन्दनमल वैद—यह तो अच्छा ही है कि ग्रेड वही नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, यह अपनी मुस्तैदी है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या २०५८

किशनगढ़ में लोन प्राप्त कुछ शरणार्थियों का किशनगढ़ छोड़कर बाहर चले जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्स्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ में कितने शरणार्थी परिवार आबाद किये गये?

(ख) क्या यह सही है कि जितने परिवार आबाद किये गये उनमें से आधे से अधिक किशनगढ़ छोड़ कर बाहर चले गये हैं?

(ग) कितने व्यक्तियों को किशनगढ़ में लोन दिया गया और उनमें से अभी किशनगढ़ में कितने मौजद हैं?

(घ) जिन व्यक्तियों को लोन दिया गया है, उसकी अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी है?

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको ५०० रु० से कम लोन दिया गया है और वे किशनगढ़ छोड़ कर बाहर चले गये हैं?

(च) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें लोन नहीं मिलने की वजह से किशनगढ़ छोड़कर बाहर जाना पड़ा?

(छ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके लोन के मामले दो वर्ष से अधिक पेंडिंग रखकर अस्वीकृत कर दिये गये हैं?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्स्थापन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इन प्रश्नों की पूरी सूचना अभी नहीं आई है, सूचना आने पर आगे उत्तर दे दिया जायगा।

Page No.6

श्री चांदमल मेहता—अगली टर्न इस सेशन में आजायगी या दूसरे सेशन में आयगी ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—किशनगढ़ से उत्तर मंगाने में कितना समय लगता है। मामूली तौर पर इसके लिए १५ दिन पर्याप्त नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष—This question was tabled on the 20th of September and the advance copy was immediately sent.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—एक महीना हो गया।

श्री अध्यक्ष—Yes.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—एक महीने से ऊपर समय होगया, अब तक जवाब नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—एक महीने से अधिक समय कहां हो गया है ?

श्री भैरूंसिंह—यह मालूम कर लिया जाय कि पूरी सूचना नहीं है तो अधूरी तो आगई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—अधूरा उत्तर लेंगे या पूरा उत्तर लेंगे ?

श्री चांदमल मेहता—मैं तो पूरी सूचना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—We will keep it without consideration on the days allotted to the Ministers.

प्रश्न संख्या २०५९

सन् १९५३-५४ में किशनगढ़ पॉवर हाउस में इन्जिनों की मरम्मत करवाने के हेतु व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३, ५४ के वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस में इन्जिनों की मरम्मत कराने में कितना रूपया खर्च किया गया ?

श्री चांदमल मेहता]

(ख) कुल कितने इंजिनों की मरम्मत हुई ?

(ग) उक्त इंजिनों की रिपेयर कहां से कराई गई ?

(घ) क्या इन इंजिनों की मरम्मत के लिए टेन्डर इनवाइट किये गये ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) १६०१२ रू० १५ आ० ३ पा० ।

(ख) कुल ४ इंजिनों की मरम्मत कराई गई ।

(ग) उक्त इंजिनों की मरम्मत जयपुर पॉवर हाउस के सैंट्रल वर्कशाप में कराई गई थी ।

(घ) नहीं ।

(ङ) यह सरकारी वर्कशाप है और यहां इस प्रकार के कार्य सभी छोटे पावर हाउसों के लिये किये जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने काम किया वह इतना खराब काम किया कि रुपये करीब करीब सारे ही बरबाद हुये हैं ।

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—जिन इंजिनों की मरम्मत की गई उनमें से कितने इंजिन इस वक्त चालू हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन इंजिनों की मरम्मत कराई गई, उनके लिये ओवर टाइम काम कराया गया । इस दृष्टि से भी खर्चा बहुत भारी पड़ा है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सारी सूचना प्रश्न से संबंधित नहीं है । यदि आप इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछते तो मैं तैयार होकर आता ।

श्री चांदमल मेहता—जो काम कराया गया उसमें लेबर चार्जेज कितने है और पार्टस के चार्जेज़ कितने है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

Page No.8

श्री चांदमल मेहता—कितने रुपयों के काम के बाहर से टेन्डर्स इन्वाइट करना जरूरी मानते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—अपने पॉवर हाउस में जो सेन्ट्रलवर्क शॉप है उसमें रिपेअर्स कराई गई है, इसलिये टेन्डर मंगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या वर्कशोप में काम कराया गया तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा रकम खर्च होने का काम है तो टेन्डर्स नहीं मंगाये जावें ?

श्री चन्दनमल वैद—इसमें टेन्डर्स मंगाने की जरूरत नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यह काम कौनसे वर्क-शोप में कराया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—यह मैं बता चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में वर्क-शोप नहीं है तो कौनसी वर्क-शॉप में काम कराया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—जयपुर पॉवर हाउस के सेन्ट्रल वर्क-शॉप में।

श्री चांदमल मेहता—क्या सारे इंजिन्स जयपुर में मंगाये गये थे ?

श्री चन्दनमल वैद—जिनके पार्ट्स में खराबी थी वे मंगाये गये।

श्री चांदमल मेहता—यहां पर इंजिन मंगाने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद—इसके डिटेल्स मौजूद नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि आया यह इंजिन और पार्ट्स मंगाये गये थे या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २०६०

सन् १९५३-५४ में किशनगढ़ पॉवर हाउस में कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा कितने रुपये ओवरटाइम्स अलाउन्स में खर्च किये गये ?

(ख) उक्त रकम में से कितनी रकम किशनगढ़ पॉवर हाउस के कर्मचारियों को दी गई और कितनी रकम अन्य व्यक्तियों को ?

(ग) किशनगढ़ पॉवर हाउस के कर्मचारियों के अलावा जिन व्यक्तियों को ओवर टाइम अलाउन्स दिया गया उनके नाम क्या हैं, और उनको कितने कितने दिन के कितने कितने रुपये दिये गये ?

(घ) ये व्यक्ति कहां २ के रहने वाले हैं ?

(ङ) ओवर टाइम अलाउन्स किस हिसाब से दिया जाता है ?

(च) क्या यह सही है कि किशनगढ़ पॉवर हाउस के कर्मचारियों व बाहर के कर्मचारियों में ओवर टाइम अलाउन्स के संबन्ध में भेद भाव बरता गया है ?

(छ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) १९५३-५४ के वर्ष में कुल ६३१ रु० १२आ० ६ पा० ओवर टाइम अलाउन्स में खर्च किये गये हैं।

(ख) इस रकम में से ३६५ रु० २ आ० ६ पा० किशनगढ़ पॉवर हाउस के कर्मचारियों को तथा २६६ रु०१० आ० ० पा० जयपुर पॉवर हाउस के कर्मचारियों को, जो वहां पर इंजिनों की अत्यावश्यक मरमम्त पर काम कर रहे थे, दिये गये।

(ग) जयपुर पॉवर हाउस के जिन कर्मचारियों को उक्त रुपया दिया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं :

[श्री चन्दनमल वैद]

नाम	पद	तादाद घंटे	रकम
१. श्री कल्याण	फिटर	६४	७५ रु०
२. श्री नानगा	फिटर	६०	४४.रु० ३ श्रा०
३. श्री भंवरलाल	पम्पड्राइवर	६६	५३.रु०१४ श्रा०६पा
४. श्री बन्सीलाल	हेल्पर	५६	३०रु०१५ श्रा० ६ पा०
५. श्री भूरा	हेल्पर	६०	३३ रु० ४ श्रा०
६. श्री नाथूराम	हेल्पर	६४	२६ रु० ५ श्रा०

(घ) उत्तर [ग] में बताये गये व्यक्ति जयपुर पॉवर हाउस में मुलाजिम हैं और जयपुर डिविजन के रहने वाले हैं।

(ङ) ओवर टाइम अलाउन्स फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत क्लॉज़ ६४ [४] २ के दिया जाता है।

(च) नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—ओवर टाइम काम करने के लिये जयपुर से आदमी बुलाने की क्या आवश्यकता थी?

श्री चन्दनमल वैद—वहां इंजिन खराब हो गये थे इसलिये उनकी मरम्मत करने के लिये आदमी भेजे गये थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सत्य है कि जो रकम ओवर टाइम के लिये बताई गई उसमें वह रकम शामिल नहीं है जो किशनगढ़ के पुराने इंजिनों की मरम्मत के लिये खर्च हुई?

श्री चन्दनमल वैद—आपने जो प्रश्न पूछा उसके अनुसार ओवर टाइम के रुपये मैंने आपको बताये।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले कितने रुपये खर्च हुए इंजिनों की मरम्मत में, जब कि इंजिन जयपुर लाये गये? क्या वह रकम इसमें शामिल नहीं है?

श्री चन्दनमल वैद—वह खर्चा जयपुर पॉवर हाउस में हुआ है किशनगढ़ में नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो रुपये खर्च किये गये वह किशनगढ़ में न होकर जयपुर में खर्च हुआ, तो किशनगढ़ के नाम नहीं मंडा?

श्री चन्दनमल वैद—वह रकम जयपुर में खर्च हुई लेकिन किशनगढ़ पॉवर हाउस के लिये खर्च हुई होगी।

श्री चांदमल मेहता—मैं निश्चित जानना चाहता हूं, हुई होगी नहीं। किशनगढ़ के इंजिनों की मरम्मत जयपुर के आदमियों द्वारा की गई तो उनको वह रकम दी गई या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि उसमें कितने रुपये खर्च हुए उसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—आप जवाब दे चुके है ओवर टाइम की कितनी रकम जयपुर वालों को मिली और कितनी किशनगढ़ वालों को, लेकिन पुराने इंजिनों की मरम्मत के लिये जो आदमी आये उनको कितनी रकम दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—किशनगढ़ पॉवर हाउस में ओवर टाइम की जितनी रकम दी गई उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितनी जयपुर के आदमियों को दी गई और कितनी किशनगढ़ के आदमियों को दी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के इंजिनों की मरम्मत के लिये जो लोग जयपुर से आये उन लोगों को फैक्ट्री एक्ट के अलावा भी पैसे दिये गये ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सच नहीं है।

प्रश्न संख्या २०६१

श्री अध्यक्ष—श्री महोब्बतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०६२

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला जैसलमेर में तालाब व कुए खुदवाने का कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार छोटे सिंचाई के कार्य में जिला जैसलमेर में कोई तालाब व कूवे खुदवायेगी ?

[श्री हनवंत सिंह]

(ख) क्या जिला जैसलमेर में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पानी की सतह काफी ऊंची है ?

(ग) क्या यह सच है कि कई जगह पर कुओं से सिंचाई काफी मात्रा में होती है ?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मंत्री)—(क) जैसलमेर जिले में पुराने खडिनों की देख भाल की जा रही है। और जहां पर उचित व्यय करके मरम्मत या उन्नति हो सकती है वहां काम किया जायगा। वर्षा कम होने के कारण नये तालाब बनाने की संभावना बहुत कम है।

(ख) बहुत कम ऐसी जगह है, जहां पानी पीने की गहराई ५० फुट या उससे कम है।

(ग) इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री **हनवन्तसिंह**—सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री **चन्दनमल वैद**—इसमें वक्त लगेगा।

प्रश्न संख्या २०६३

देवस्थान विभाग का रुपया नागरिक रसद विभाग में

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] देवस्थान विभाग का कितना रुपया सप्लाई विभाग में बाकी हैं ?

[ख] उक्त रुपया कब किन शर्तों पर दिया गया है ?

[ग] उक्त रुपया किस २ मन्दिर का है ?

[घ] उक्त रुपये का कब तक का ब्याज किस रेट पर देवस्थान को मिल चुका है ?

[ङ] जिन मन्दिरों का रुपया देवस्थान द्वारा सप्लाई विभाग को दिया गया है, क्या वे सीधे सरकार के नियन्त्रण में हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (देवस्थान मंत्री)—(क) सितम्बर सन् ५३ के अन्त तक देवस्थान

[श्री भोगीलाल पंड्या]

विभाग का ६९४,६२५ रु० मूलधन और १२६७६५रु० १५आ० ६ पा० ब्याज का सप्लाई विभाग में बाकी रहा है।

(ख) राजस्थान सरकार की मन्जूरी से सन् १६४६ में १५ लाख रुपये ३ रु० सैंकड़ ब्याज की दर से दिया गया था।

(ग) १५ लाख की रकम में से ४ लाख रुपयों की रकम श्री परमेश्वरजी के मन्दिर की जो वर्तमान में महाराणा साहब उदयपुर की देखरेख में है दी गई थी।

देवस्थान के निम्नलिखित मन्दिरान के भन्डार से रुपया दिया गया :

१	धूलेव भंडार	५८००००
२	श्री जगदीश भंडार	७००००
३	श्री वल्लभ भंडार	५००००
४	सीगा हिसाब	४०००००
	योग	११०००००

(घ) ब्याज की कोई रकम देवस्थान विभाग को अब तक नहीं प्राप्त हुई है।

(ङ) श्री परमेश्वर जी के भंडार को छोड़ कर बकाया कुल मन्दिर सरकार के नियन्त्रण में हैं।

श्री चांदमल मेहता—ब्याज की रकम नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसलिये कि सरकार के पास रुपया है, इसका हिसाब किताब होगा तब सरकार में डेबिट करना है वह अपने आप ही हो जायगा।

श्री चान्दमल मेहता—जो ब्याज का रुपया है उसके ऊपर भी सरकार ब्याज देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब हिसाब चुकता किया जायगा उस समय सरकार जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी।

श्री चांदमल मेहता—सरकार जो ब्याज दे रही है, क्या उससे ज्यादा ब्याज बैंको में मिल सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। अभी २ मालुम हुआ है कि दूसरी जगह यह रुपया इन्वेस्ट करें तो इससे ज्यादा ब्याज मिल सकता है, यह सारा रुपया स्माल सेविंग में दे रखा है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार अब जहां अधिक रुपया ब्याज का मिलता है वहां यह रुपया जमा कराने की सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार यह भी सोचा करती है कि कहीं ब्याज की रकम के लोभ में यह रुपया डूब नहीं जाय।

श्री चान्दमल मेहता—क्या जो स्टेन्डर्ड बैंक्स हैं उनके बारे में भी सरकार को रुपया डूबने का डर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, कभी २ डर रहता ही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०६४

आगामी पंचवर्षीय योजना में मण्डावर रहीवाड सड़क निर्माण कार्य

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) Is the Government contemplating the construction of Mandar Rahiwada Road under the next Five Year Plan ?

(b) Is the Government also contemplating the construction of Sarupganj Sildar Road via Kalandri ? If so, when ?

(c) Is the Government also contemplating to complete the buildings for various offices at Sirohi ?

(d) Has the Sirohi-Anadra road been completed ? If not, how far has this road been made and what more time will it take to be completed ?

श्री चन्दनमल वैद् (उप मन्त्री)—(a) The next Five Year Plan has not yet been finalized and as such no definite reply can be given at this stage.

(b) So far no such project has been prepared or sanctioned for construction.

[श्री चन्दनमल वैद]

(c) Government do contemplate to complete the incomplete buildings not only at Sirohi but at all the other places also.

(d) Not yet. The collection work in 5 miles has almost been completed and the consolidation is in progress. Contract for another 5 miles for collecteon and consolidation has been given to another contractor. The entire road work upto Anadra is expected to be completed during the next year.

श्री जवानसिंह—What building are contemplated under part (c) ?

श्री चन्दनमल वैद—ज्यों ही पैसा उपलब्ध होगा त्यों ही।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि यह डेढ़ करोड रुपया इन्कम्प्लीट बिल्डिंग्स को पूरा करने के लिये मिला है ?

श्री चन्दनमल वैद—इन्कम्प्लीट बिल्डिंग्स के लिये नहीं बल्कि. . . . . बिल्डिंग्स के लिये मिला है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह रुपया सिरोही में खर्च किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०६५

सिरोही पॉवर हाउस को शासन के आधीन में लेना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state:-

(a) Does the Government propose take over the Sirohi Power House ?

(b) Is it a fact that a few thousand rupees have already been paid as loan to the Sirohi Electrical Power House and thus its taking over will not require the Government to pay much ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) and (b) The question of Sirohi Power House like that of other Power Houses is under consideration of the Government,

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि सिरोही पॉवर हाउस को सरकार द्वारा

[श्री मोहब्बतसिंह]

पहले ही बहुत रुपया उधार दिया हुआ है और वह रुपया वापिस मिलने की भी संभावना नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—सिरोही पॉवर हाउस को गवनमेंट की ओर से कोई लोन दिया गया हो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं हैं। हां आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्डस्ट्रीज को० लि० जो कि इस पॉवर हाउस को मेनेज करती है, उसमें राजस्थान सरकार के शेयर्स हैं। वह सारी बातें झगड़े में पड़ी हुई हैं इसलिये इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितने शेयर के रुपये अपने हैं और कितने बोम्बे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०६६.

सिरोही के शासकीय भवनों की कमी पूर्ति करना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) Is the Government aware of the scarcity of the Government Houses at Sirohi for the residence of Government Servants ?

(b) What steps does the Government propose to take in future in this direction ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री)—(a) Yes.

(b) Every attempt will be made to find funds for the purpose and construction programme will be drawn up according to the availability of funds and acuteness of the necessity at different places.

श्री मोहब्बतसिंह—इस वक्त कितना रुपया डेढ़ करोड में से सिरोही में खर्च करने का है।

श्री चन्दनमल वैद—सारी तालिका तो मेरे पास नहीं है परन्तु जूडिशियरी बिल्डिंग्स, पुलिस बिल्डिंग्स और दूसरी बिल्डिंग्स पर खर्च किया जायगा। निश्चित रकम नहीं बता सकता कि कितना खर्च किया जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह—सिरोही में कुछ भी खर्चा किसी भी सीगे के नीचे किया जा रहा है कि नहीं ?

श्री चंदनमल वैद—अगर जरूरत होगी तो जरूर हो रहा होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २०६७

श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मन्त्रीजी अपनी असमर्थता जाहिर कर चुके हैं, इसके लिये [प्रश्न संख्या २०६७ स्थगित रहा ।]

प्रश्न संख्या २०६८

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत रेवदारतहसील (जिला सिरोही) क्षेत्र का सर्वे

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) Has the Reodar Tehsil area of Sirohi District been surveyed for minor irrigation schemes there ?

(b) If not, will the Government be pleased to do it now ?

श्री चन्दनमल वैद [उप-मन्त्री]—(a) Special sub-division for surveys and investigations has been created recently with headquarters at Sirohi. This will survey the irrigation possibilities of the District including Reodar Tehsil.

(b) The question does not arise.

प्रश्न संख्या २०६९

सिरोही जिले में सिंचाई डेम्स का निर्माण

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) How many Irrigation dams are proposed to be constructed in Sirohi District ?

[श्री मोहब्बत सिंह]

(b) What is the estimated cost of each dam and how many acres of land is expected to be irrigated by each ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री)—(a) and (b) The following works have been sanctioned so far:--

Name of Dam	Cost	Area expected to be irrigated in acres.
Bhula Tank.	4.23 lacs.	1620.
Ora Project.	16.96 lacs.	8870.
Krishnasagar Tank.	Rs. 4,000/-	60.

प्रश्न संख्या २०७०

किशनगढ़ स्थित मदनमोहन लालजी के मन्दिर में गबन के मामले सरकार के समक्ष

श्री चांदमल मेहता —क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद से किशनगढ़ स्थित मदन मोहनलालजी के मन्दिर के कितने मामले सरकार के समक्ष गबन के आये ?

(ख) उक्त मामलों में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं और कितना कितना अनाज या रुपयों का गबन हुआ है ?

(ग) सरकार द्वारा उन मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(देवस्थान मंत्री) (क) राजस्थान के निर्माण के बाद एक अनाज की चोरी होने का मामला सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) चोरी का पता पुलिस द्वारा नहीं लगा इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे। ६५ मन अनाज कम पाया गया।

Page No.19

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) जांच से एस. डी. ओ., किशनगढ़ के सम्बन्धित कर्मचारी धनपत सिंह और नारायण-सिंह को लापरवाही का दोषी करार दे कर अनाज के दाम उनसे वसूल करने की सिफारिश की। जिस पर कार्यवाही जारी है।

श्री चांदमल मेहता—यह सिफारिश कब की?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—१४-२-५२ को पुलिस में केस दिया गया। ८-८-५२ को जब पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी तो इसके बाद में एस. डी. ओ. ने तय किया कि ९५ मन अनाज के पैसे उनसे वसूल किये जायें।

श्री चांदमल मेहता—सन् १९५२ के बाद अब तक इस मामले को पेंडिंग रखने का क्या कारण है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—पेंडिंग रखने के लिये कोई कारण नहीं था। उनसे पैसा मांगा गया उन्होने ९५ मन अनाज का पैसा नहीं दिया तो उनको अलग कर दिया गया और उनसे वह रुपया वसूल किये जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यह विषय उनसे अनाज की कीमत वसूल करने के बारे में सरकार के विचाराधीन नहीं है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा यह सवाल है कि इसमें इतनी देर हुई उसका क्या कारण है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—उस अनाज की कीमत वसूल करने के लिये उन्हें कहा परन्तु उन्होंने दिया नहीं। सरकार हर तरह से उससे वसूल कर लेगी।

श्री चांदमल मेहता—कब तक सरकार का वसूल कर लेने का निश्चय है?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सरकार तो जल्दी से जल्दी वसूल करना चाहती है पर उनके पास से कुछ मिला नहीं।

श्री चांदमल मेहता—उनके पास नहीं मिलने से क्या मतलब है, क्या उनके पास रुपया नहीं है!

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०७१

कोम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा एक्सटेन्शन ब्लॉक रखने के लिये आवश्यकताएं

श्री भगवानसिंह् तरंगी—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक्सटेन्शन ब्लॉक रखे जाते समय किन किन मुख्य बातों का ख्याल रखा जाता है ?

(ख) क्या राजस्थान की परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे प्रत्येक जिले में खास तौर पर पिछड़े हिस्सों (अनडवलप्ड एरियाज़) में प्रोजेक्ट अथवा ब्लॉक्स खोले जाने को प्राथमिकता दिए जाने पर ध्यान रखा जावेगा ?

(ग) क्या कारण है कि सवाई माधोपुर व अन्य स्थानों में एक एक प्रोजेक्ट पहले से ही होने के बाद भी दो दो एक्सटेन्शन ब्लॉक्स इस वर्ष और खोले गये हैं ?

(घ) क्या सरकार झालावाड़ जिले में प्रोजेक्ट अथवा एक्सटेंशन ब्लॉक खोले जाने का विचार रखती है ?

श्री चंदनमल वैद (उपमंत्री)—सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों के चुनाव में योजना प्रशासन द्वारा निर्धारित मुख्यता निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है :

१. सिंचाई के साधन और वर्षा का निश्चित परिणाम जिससे विशेष प्रयत्न करने पर अच्छे परिणाम निकल सकें ।

२. क्षेत्र के नजदीक कृषक या प्रसार केन्द्र का होना ।

३. ऐसे क्षेत्र का पास होना जहां पहले से ही कार्य आरम्भ कर दिया गया हो, जिससे कि वह एक ही शासन सम्बन्धी इकाई में आ जावें ।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न (क) के उत्तर में आ चुका है ।

(ग) सवाई माधोपुर आदि जिलों में एक एक विकास खण्ड पहले से ही होने पर भी इस वर्ष दो विस्तार खण्ड और खोलने का मुख्य ध्येय यही है कि जहां तक सम्भव हो सारा सब

[श्री चन्दनमल वैद]

डिवीजन विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जावे। यही मान्यता योजना प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है।

(घ) झालावाड़ जिले में इस वर्ष एक विस्तार खण्ड खोलने की योजना थी, मगर भारत सरकार ने २० क्षेत्रों के स्थान पर सिर्फ १५ क्षेत्रों की ही स्वीकृति प्रदान की। अतः इन जिलों में विस्तार क्षेत्र आगामी वर्ष में खोलने का विचार है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—रायसिंह नगर ब्लॉक, रायसिंह नगर में न खोल कर पदमपुर इलाके में क्यों खोला गया है ?

श्री चंदनमल वैद—वह इलाका उससे लगता हुआ होगा। इसमें मुझे कोई विशेष पक्की जानकारी इस वक्त नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जांच करायेगी कि रायसिंह नगर का बिल्कुल इलाका नहीं लगता ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—इलाका है तो नजदीक, लगता हुआ भी होगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या इसका यह कारण है कि मंत्री महोदय की वहां ससुराल है।

(हंसी]

श्री चंदनमल वैद—मैंने बताया है कि उसका लगता हुआ इलाका है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह बिल्कुल गलत है कि इलाका लगता हुआ है।

श्री कंवरलाल जेलिया—झालावाड़ जिले में एक भी राष्ट्रीय विकास योजना केन्द्र नहीं खोला गया है इसका क्या कारण है; जब कि मंत्री महोदय ने जितनी ३ शर्तें बताई हैं वे वहां मौजूद हैं ?

श्री चंदनमल वैद—डेवेलपमेंट विभाग वहां पहले से नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या ब्लोक शहर की उन्नति के लिये होते हैं या देहातों की उन्नति के लिये ?

श्री चन्दनमल वैद [उपमंत्री] —देहातों की उन्नति के लिये।

Page No.22

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि रायसिंहनगर में जो रुपया खर्च हुआ है वह देहातों पर ज्यादा हुआ है या शहर पर ?

श्री चन्दनमल वैद—८० प्रतिशत रुपया देहातों में खर्च होना चाहिये यह आदेश है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराएगी कि रायसिंहनगर में जो रुपया खर्च हुआ है वह शहर में ज्यादा और देहातों में बहुत कम ?

श्री चंदनमल वैद— ऐसा आदेश है। अगर कोई आदेश के खिलाफ चलेगा तो कड़ी सजा दी जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार को यह विदित है कि सारा रुपया कर्णपुर में खर्च किया गया और देहातों में नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं बता चुका हूँ कि ८० प्रतिशत देहातों में खर्च करने का आदेश है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कारण है कि बारां का ब्लोक होते हुए भी वहां के क्षेत्र को नहीं बढ़ाया गया ?

श्री चन्दनमल—बारां का क्षेत्र पिछले वर्ष बढ़ाया जा चुका है।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो फिर झालावाड़ की उपेक्षा क्यों की गई ?

श्री चन्दनमल वैद—तीन शर्तों में से एक शर्त पूरी नहीं होती थी।

श्री भगवानसिंह तरंगी—जब वह दो शर्त पूरी करता है तो क्या तीसरी शर्त भी पूरी करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट इयर ले लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या २०७२

बाड़मेर तथा जालौर के दलित वर्गों को शासकीय सहायता

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या दलितवर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(क) सरकार ने गत दो वर्षों में जालौर व बाड़मेर जिलों में बैकवर्ड क्लासेज़ को कितनी सहायता दी और किस किस को दी ?

(ख) क्या इन इलाकों की बैकवर्ड क्लास को उन्नत करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग मन्त्री)—(क) जिला जालौर ६२३ रुपये, जिला बाड़मेर १२९६ रुपये । जिन जिन को सहायता दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[ख] नहीं । बैकवर्ड क्लास को उन्नत करने की योजना जिलेवार नहीं बनाई जाती ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या गंगानगर जिले में भी रुपया खर्च होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, काफी रुपया खर्च होता है ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—पिछले तीन सालों में वहां कितना रुपया खर्च किया गया, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप इस संबन्ध में अलग से प्रश्न पूछियेगा उसका जवाब दिया जावेगा और आपको मालूम होगा कि बहुत रुपया खर्च किया गया है ।

श्री तनसिंह—क्या यह २९६ रुपये जो खर्च किये गये वह मांग करने पर खर्च किये गये या सरकार ने अपने आप खर्च किये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेंट ने इस संबन्ध में नियम बना रखे हैं उनके अनुसार खर्च किया गया ।

श्री एच. के. व्यास—क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरपुर में ज्यादा खर्च किया या गंगानगर में ज्यादा रकम खर्च की गई ।

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे देखा जावे तो गंगानगर में ज्यादा दिया गया है लेकिन भारत सरकार ने जो रुपया दिया उसको साथ लें तो डूंगरपुर में ज्यादा खर्च हुआ ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सही है कि जितना रुपया भारत सरकार ने दिया उसका ७० प्रतिशत वहां खर्च किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर १३ लाख रुपया डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि में खर्च किया गया। शतप्रतिशत वहां खर्च किया जाता है।

(हियर हियर)

श्री अध्यक्ष—So we finish today' s quetions.

कुं श्री जसवन्त सिंह—There is one question of Shri Mohabbat Singh

श्री मोहब्बत सिंह—मैं पूछना नहीं चाहता।

श्री कुंभाराम आर्य—एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना बाकी रह गया है। अगर आप इजाजत दें तो दे दूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री महोब्बतसिंह को सम्बोधित करते हुए) आप पूछना नहीं चाहते।

श्री महोब्बतसिंह—जी नहीं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—(श्री कुम्भाराम आर्य से) If it is in the public interest you can answer it.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री प्रतापसिंह, डिविजन नम्बर ११७, ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक ११ अक्टूबर, १९५४ से २५ अक्टूबर, १९५४ तक सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

The Rajasthan Sales Tax Bill-Pending clauses. Clause 8 A.

श्री भोलानाथ—[पृथक राजस्व मन्त्री] इसको पढ़ दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये ।

[अनौपचारिक चर्चाएं]

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ए पर श्री चांदमल मेहता ने एमेन्डमेंट के रूप में कुछ पेश किया था जिसको मन्जूर कर लिया गया था लेकिन उस समय यह कहा गया था कि इसको लीगल भाषा में रखा जावे । अब उनकी भाषा ठीक हो कर आ गई है उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

"8A.--TAX PAYABLE BY TRANSFEREE OF BUSINESS : (1) When the ownership of the business of a dealer liable to pay the tax is entirely transferred, any tax payable in respect of such business and remaining unpaid at the time of the transfer, shall be payable by the transferee, as if he were the dealer liable to pay such tax; and the transferee shall also be liable to pay tax on the sales of goods effected by him with effect from the date of such transfer and shall within 30 days of the transfer, apply for registration unless he already holds a certificate of registration.

(2) When a dealer liable to pay the tax transfers the ownership of a part of his business, the transferor shall be liable to pay the tax in respect of the stock of goods transferred along with that part of his business which is not so transferred, as if the goods have been sold by him, unless the transferee holds a certificate of registration or obtains it within the prescribed period.

(3) (i) When a firm liable to pay the tax is dissolved, or

(ii) Where an undivided Hindu family liable to pay the tax is partitioned,

such firm or family, as the case may be, shall be liable to pay the tax on the goods allotted to any partner or member thereof as if the goods had been sold to such partner or member unless he holds a certificate of registration, or obtains it within the prescribed period.

(4) When a dealer to whom a part of the business has been transferred or who has obtained the whole or part of the stock relating to the business of a partnership which has been discontinued or dissolved or an undivided Hindu

Page No.26

[श्री भोलानाथ]

family which is partitioned, obtains a certificate of registration, he shall be liable to pay the tax on the turnover in respect of sales of goods made by him with effect from the date of such transfer of business, discontinuance or dissolution of the partnership, or the partition of the family, as the acse may be."

श्री हरिकृष्ण व्यास—This amendment has not been circulated;...

श्री अध्यक्ष—This is true.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Nor any amendment purporting to incorporate these ideas has been circulated. That Might have been given on that day to the Minister-in-charge but not to the Members.

श्री भोलानाथ—यह लिस्ट नम्बर ३ में सक्युलेट हुआ था। वह अमेन्डमेंट नं० ६६ था।

श्री अध्यक्ष—Is it acceptable to the Hon'ble Member who has moved the amendment ?

श्री चांदमल मेहता—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote ?

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया वह उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय

[स्वीकृत]

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ ए के बजाय जो कि श्री चांदमल मेहता ने संशोधन प्रस्तुत किया था उसका संशोधन करते हुए सब्स्टीट्यूट करने का नया संशोधन क्लॉज

[श्री अध्यक्ष]

८ ए के रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

सब्स्टीट्यूटेड क्लॉज ८ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ९ (२) (iii)

श्री भोलानाथ (पृथक-राजस्व मन्त्री)—क्लॉज ९ (२) (iii) में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन का अमेन्डमेन्ट था और यह कहा गया था कि प्रारम्भ में तीन साल की शर्त से परेशानी हो सकती है इसलिए इसको इस प्रकार से मोडिफाई कर दिया गया है जिससे परेशानी न हो। उसको इसमें इन्कोर्पोरेट करने के पश्चात् वह इस फार्म में आता है। "Clause 9 (2) (iii) may be amendeed as follows:—

'(iii) to produce or cause to be produced such accounts or documents pertaining to the assessment year as the assessing authority may require.'

Add sub—clause (iv) as under:-

'(iv) to produce or cause to be produced such accounts or documents pertaining to three years preceeding as the assessing authority may require;

Provided that the production of such accounts or documents may not be insisted upon during the first two assessments fromthe commencement of this Act.'"

इसमें सिर्फ यह है कि शुरू के दो सालों में ज्यादा इन्सिस्ट नहीं किया जायगा। इसकी यही स्प्रिट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'may not be insisted upon' is that the word used?

श्री भोलानाथ—Yes, 'may not be insisted upon' बहुतों के अकाउन्ट्स होते हैं लेकिन आम लोगों को मजबूर नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—"Provided that the production of such accounts or documents may not be insiste upon;"

(कु' श्री जसवन्तसिंह से) स्वीकार है आपको ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो स्प्रिट और सैन्स आना चाहिए था वह उसमें आ गया है

श्री अध्यक्ष—The sense is there.

श्री कु० जसवन्तसिंह—मेरा जो मतलब था और जो सैन्स होना चाहिए था वह इस अमेन्डेड फार्म में आ गया है। 'में' के बजाय 'शेल' हो तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—डिस्क्रीशनरी है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ के सब क्लॉज (२) के पार्ट (iii) के बजाय नया पार्ट (iii) और (iv) जैसा कि इस अमेन्डमेन्ट में है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ (५) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ (५) स्वीकार किया गया

(विराम)

ये दोनों सब क्लॉज़ेज विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिड्यूल।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल पर कई अमेन्डमेन्ट्स आये और उन पर बहस हुई। ज्यादातर अमेन्डमेन्ट्स इस प्रकार के थे कि जिनसे, मैं मानता हूं कि, गलत फहमी मालूम पड़ती थी बनिस्पत इसके कि कई संशोधन थे। जैसे पहला अमेन्डमेंट श्री अवनि कुमार मुकर्जी का था उसमें उन्होंने कहा था कि न्यूजपेपर्स को भी एक्ज़ेम्प्टेड लिस्ट में इन्क्ल्यूड कर दिया जाय। चूंकि गुड्स की डेफिनिशन में यह एक्सक्ल्युडेड है इसलिए इस अमेन्डमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

दूसरा मेडीसिन्स के बारे में था। मेडीसिन्स के बारे में कस्टम्स डिपार्टमेन्ट में भी यह था कि धर्मार्थ कार्य के लिए अगर मेडिसिन्स आती हैं तो सरकार माफ करती रहती है

Page No.29

[श्री भोलानाथ]

और एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में भी कोई चीज़ आती है तो कस्टम्स डिपार्टमेन्ट उसको माफ करता रहता है और उसका प्रोविजन, ऐक्जेम्पशन का जो क्लॉज है उसमें रखा गया है। किन्तु व्यापारिक दृष्टि से जो सामान आता है और उस पर जो मुनाफा लिया जाता है किसी आदमी द्वारा, तो उस पर टैक्स नहीं लेना ठीक नहीं मालूम होगा।

तीसरा एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स के लिए श्री अवनी कुमार मुकर्जी का अमेन्डमेंट था। उसमें भी एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स की माफी के लिए व्यवस्था है, लेकिन उसको भूलने की कोशिश की गई है न० ८ पर जो शिड्यूल में दिया हुआ है उससे उनको संतोष होना चाहिये।

माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने बहुत लम्बी लिस्ट दी है लेकिन लिस्ट के सिवाय कोई माने नहीं रखता है। उसमें कहीं खाट है, कहीं झाड़ू है और कहीं मटकी है तो कहीं सुराही है, ये चीजें जोड़ दी गई हैं। वह एक मजाकिया लिस्ट के सिवाय कुछ नहीं है। यदि कोई झाड़ू का डीलर १२ हजार का बिजनेस कर सके (हंसी) और वह केवल झाड़ू ही बेचता रहे तो यह चीज़ देखने को नहीं मिलती है

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी देखने को मिल जावेगा।

श्री भोलानाथ—ऐसा भी देखने को नहीं मिलता कि केवल सुराही का डीलर १२ हजार का बिजनेस करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो झाड़ू का बिजनेस करते हैं और बाकी जो टेक्सेबल चीजें मंगवाते हैं तो क्या उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा ?

श्री भोलानाथ—मंशा तो यह है कि ऐसे झाड़ू का बिजनेस करने वाले और सुराही का बिजनेस करने वाले डीलर अगर दूसरी चीजें भी मंगवाते हैं तो उन पर जो टेक्सेबल चीजें हैं उनका टैक्स लगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—झाड़ू का बिजनेस घर घर में होता है।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह १२ हजार का डीलर भी होता है।

(हंसी)

श्री भोलानाथ—तो इस तरह से ऑइल लेम्प वगैरह के लिए आपने अमेन्डमेन्ट दिया है। आपने दो अच्छे अमेन्डमेन्ट्स भी दिये हैं जिनको मैंने जरूर स्वीकार कर लिया है। एक तो है एडिबल ऑइल्स और दूसरा है श्मशान में जाने के बाद लकड़ी का इन्तजाम न हो।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो परमार्थ का काम है।

श्री भोलानाथ—यह स्वार्थ का भी काम है क्योंकि उसमें परमार्थ और स्वार्थ दोनों शामिल हैं। अतः फायरवुड और चारकोल दोनों डोमेस्टिक यूज़ के लिए हैं इसलिए उनको इस शिड्यूल में जोड़ दिया जाय तो वह मुझे मंजूर है। बाकी आपके अमेन्डमेन्ट्स ऐसे हैं कि जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

आपसे भी अच्छे अमेन्डमेन्ट्स दूसरों ने दिये हैं उनकी सफाई होना जरूरी है। जनता की दृष्टि से उसमें कुछ गलतफहमी भी रह सकती है और जनता को एक्स्प्लॉइट भी किया जा सकता है। यह एक स्वाभाविक बात थी, हालांकि गवर्नमेन्ट की ऐसी मंशा नहीं थी।

जैसा कि वेजीटेबल में यह है कि लहसून और प्याज ऐसा न हो कि इन पर भी टैक्स लग जाय। जहां पर वेजिटेबल है उसके आगे गारलिक एन्ड ओनियन जोड दिये जायं। इसको जोड़ देने में कोई बुराई नहीं होगी।

चौथी बात, जिसके बारे में बड़ा शोरगुल हुआ था वह यह था कि हलवाइयों द्वारा जो पूरी परामठे बनाये जाते हैं, सेव दाल आदि बेचने वाले हैं कहीं उन पर टैक्स न लग जाय। एक महानुभाव का यह भी ख्याल था कि पूरी परामठे इसमें शामिल नहीं होने से कहीं ऐसा न हो जाय कि इन पर भी टैक्स लग जाय। इसलिए मैं यह मन्जूर करता हूँ कि जो हलवाई के यहां स्वीटमीट्स और पूरी परामठे आदि हैं उन पर भी टैक्स नहीं होगा, इसको लिस्ट में शामिल कर दिया जाय।

"Deshi Sweetmeats prepared by Halwais Including Bhujia, puri and Parathe,"

इस अमेंडमेंट को १४ नंबर पर रखना चाहता हूं। नं० १४ पर यह रहेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसमें चपाती भी जोड़ दी जाय।

श्री भोलानाथ—ब्रेड ऊपर आ गया है। इसलिए चपाती की कोई आवश्यकता नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ब्रेड और चपाती में बहुत फर्क है, इसलिए चपाती रख लिया जाय।

श्री भोलानाथ—(अपना भाषण जारी रखते हुए) हलवाई चपाती नहीं बेचता। भटियारा या और कोई बेचते होंगे।

इस सम्बन्ध में एक और बात कही गई। राजस्थान में तो यह हालत नहीं कि वाटर पर सेल्स टैक्स लगता हो। जहां पर प्राइवेट कम्पनियां हैं और उनके द्वारा वाटर वर्क्स लगाये हुए वहां ऐसा होता है कि सेल्स टैक्स लगता है। यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी दुबारा रूल को अमेंड न करना पड़े इसलिए इसमें वाटर भी जोड़ दिया जाता है। इससे यह इस तरह हो जायगा।

"Water including aerated water"

इस तह से और जगह जो प्रोवीज़न है उसी तरह का प्रोवीज़न यहां किया जाय।

इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान में है वह है लाइव स्टोक्स का। क्योंकि वैसे तो कस्टम के लिहाज से यह सब से अच्छा आमदनी का जरिया है किन्तु जिस तरह से सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है वह केवल डीलर्स पर लगाया जा रहा है, एक पशु पर नहीं। कस्टम द्वारा मवेशी पर टैक्स लगाया हुआ था। इसलिये इस बिल के आ जाने के बाद, जिसमें इस तरह से टैक्स वसूल कर रहे हैं कि इनडिविज्युअल से वसूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीलर्स से वसूल कर रहे हैं। तो लाइव स्टोक्स के बारे में मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को डीलर्स की हैसियत से करते हैं, जो पशु खरीदकर उनको बेचने का काम करते हैं, जो एक जाती विशेष के रुप में है, जो व्यापारी के नाम से मशहूर हैं, यह १६ वी एक्सेप्शन लिस्ट में रखी जाती है। "Live stock in cluding Camel, sheep and goats." केमल्स का सेफ गार्ड इसलिये रखना जरुरी है कि ये बहुत बडे बड़े झुंड मे बिकने के लिये बाहर जाते हैं। इस तरह से १२ हजार तक का जो मामूली काश्तकार है जैसा कि १०-१२ ऊंट कोई रखता है उसका असर इस पर नहीं पड़ेगा, जो इसका बिजनेस करता है।

"16 Live stock ...... excluding camel sheep and goat".

ऐसे लोगों पर यह टेक्स लागू करने के लिये है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमारी लिस्ट काफी अच्छी हो जायगी। इसमें एक घी-बटर जैसा कि पहले नंबर थ्री पर था।

"Fresh milk ......" whole or separated and milk products excluding ghee, butter and sweetmeats."

"Excluding, butter and sweetmeats" को हटा देना चाहते हैं, उसकी जगह

[श्री भोलानाथ]

'एक्सक्लूडिंग स्वीटमीट' क्योंकि स्वीटमीट तो दूसरे नंबर पर आ चुका है। नंबर थ्री "एक्सक्लुडिंग घी बटर" को हटा देना चाहते हैं। हम घी और बटर पर टैक्स लगाना नहीं चहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—How will it read as amended ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इसमें मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लेते तो अच्छा होता।

श्री भोलानाथ—"एक्सक्लूडिंग स्वीटमीट" को हटा देने के बाद यह ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ घी और बटर ही रह जाता है।

"Freshmilk excluding Ghee and butter"

श्री हरिकृष्ण व्यास—Item three, how will it read as amended ? please read it.

श्री भोलानाथ—अमेन्डेड फोर्म में थ्री इस प्रकार हो जाता है—

"Fresh milk, whole or separated and milk products, including ghee and butter."

स्टेटमेंट में १४ वें नम्बर पर दूसरा आइटम जोड़ा है।

"yeshi sweet neats prepared by Halwais ..including bhul.c.i a,puri and parathe."

इसमें यह होता है कि हलवाई की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वे एक साथ जोड़ दी गई हैं

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What about chapatis ?

श्री भोलानाथ—"Deshi sweetmeats prepared by Halwais including bhujia, puri and parathe.

मैं समझता हूं कि इस तरह से यह शिड्यूल काफी अच्छा और व्यवहारिक हो गया है। बाकी जो अमेंडमेंट है उन्हें वापिस लेंगे और जिस फोर्म में मैंने पेश किया है उसको मन्जूर करने को स्वीकृति देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो शिड्यूल है जिसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कबूल किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण भाग इस बिल का है लेकिन अफसोस के साथ कहना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पडता है कि जो मैंने काफी सोच-विचार कर, सामान्य आदमी के प्रयोग में आनी वाली वस्तुओं को जोड़ने के लिए कोशिश की थी उसको न मालूम माननीय मंत्रीजी शामिल क्यों नहीं करना चाहते, क्यों जनता के प्रयोग में ज्यादा आने वाली चीजों की तरफ ध्यान उन्होंने नहीं दिया ? कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए अब भी मेरा ख्याल है कि उन पर पूरी तरह से विचार कर लिया जाय तो ठीक रहेगा। मसलन मेडिसिन्स के लिए यह कहा गया कि कस्टम विभाग धर्मार्थ कार्य के लिए जितनी दवाइयां मंगाता है उनको कस्टम की माफी मिलती हैं। एज्युकेशन के परपज़ के लिए कोई चीज आती है तो उसको कस्टम से माफ कर देते हैं। ऐसी ही नीति चालू रखने का सरकार का इरादा है लेकिन जो दवाइयां बेचकर व्यापार करता है उसको एक्ज़ेम्पशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि बिल को पेश करने वाले माननीय महानुभावों को जनता के इसेन्शियल्स के बारे में इतना कम अन्दाज है तो मुझे उनको समझाने में कठिन स्थिति हो जायगी। जो सेल्स टेक्स इस बिल द्वारा लगा रहे हैं इसमें जिन आइटम्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं वह इस ख्याल से कि चाहे व्यापारी व्यापार करता हो लेकिन वे आइटम्स इतनी बड़ी मात्रा में सामान्य लोगों द्वारा काम में लाये जाते हैं तो उन चीजों पर टैक्स लगाने का तात्पर्य यह होता है कि इसका असर मामूली आदमी पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में redible oils, lanterns or small table lamps firewood, clear coal and such fuel used for domestic porposes" को एक्स्क्लूड किया गया है तो व्यापारी की कन्डीशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका असर होगा तो उपभोक्ता पर होगा। वैसी स्थिति में मैं यह नहीं समझ पाता कि दवाइयों के बारे में दूसरी नीति क्यों बरती गई और यह नीति इसलिए बरती गई मालूम होती है कि सारा का सारा उनका दृष्टिकोण विकृत हो गया है।

फायरवुड और चारकोल की याद आती है, श्मशान के सिलसिले में, हमें इसकी याद आती है श्मशान के सिलसिले में, जिन्दा रहने के बारे में, चूल्हे के बारे में, जिससे जिन्दगी चलती है, इन्सान को जिन्दा रखने के सिलसिले में याद नहीं आते। श्मशान तो इन्सान की आखिरी स्टेज है। वह आखिरी स्टेज तो हमें याद आती है पर उससे पहले की, जिन्दा रखने की, जिन्दगी की, जिन्दगी को बनाये रखने की, चूल्हे के पास की स्टेज याद नहीं आती। श्मशाम में भी कोयला चाहिये, फायर वुड और चारकोल चाहिये, पर इससे पहले खाने-पीने के लिए, जिन्दा रहने के लिये आदमी के घर के अन्दर चाहिये और चूंकि इन चीजों के बारे में श्मशान के सिलसिले में एक्सक्लुज़न की मनोवृत्ति है, इसलिये फायरवुड को श्मशान में जरुर राहत दे दी। लेकिन जो आदमी जिन्दा है, परेशान है बीमार है, उसको आज यहां जिन्दा हालत में राहत चाहिये, श्मशान में नहीं, इसलिये मैडिसिन को एक्सक्लुड करना अत्यन्त आवश्यक है, और यह इसलिये भी कि इन्सान की आवश्यकता का, सामान्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता, बड़ी भारी आवश्यकता का एक बड़ा भारी भाग वैसे का वैसा ही छूट जाता है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी चीज जो मुझे समझ में नहीं आई और जो सैद्धान्तिक तौर पर एतराज के काबिल है उसके बारे में रत्ती भर भी जवाब नहीं दिया माननीय मंत्री महोदय ने, और वह यह है कि ऑल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन की खादी को एक्सक्लुड किया गया है। किस बिना पर ? यह कहा तो नहीं, पर मैं जानता हूं कि वह एक मोटा कपडा होता है, गरीबों के इस्तेमाल में आता है, इसलिये एक्सक्लूड किया गया और तो कोई कारण इस्तेमाल का नहीं किया गया। यदि ए. आई. एस. ए न करके, दूसरे मैनुफेक्चरर्स समझ लीजिये या कहीं और अपनी तकली और चर्खा चलाने वाले दूसरे सामान्य आदमी समझ लीजिये, या हैण्ड लूम्स चलाने वाले व्यक्ति समझ लीजिये, वे इस प्रकार का मोटा कपड़ा बनाते हैं या राजस्थान का किसान रेजी बनाता है तो इनको किस कारण से एक्सक्लूड नहीं किया गया। यदि खादी इसके लिए एन्टाइटल्ड है तो मैं समझता हूं कि एक विशेष कम्पनी की खादी को एक्सक्लूड करना, यह तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। यह संविधान के मुताबिक इक्वेलिटी के स्टेटस को एक तरह से तोड़ता है, और इसके अलावा जब आप खादी के प्रकार का मोटा कपड़ा एक्सक्लूड करते हैं तो सारे के सारे कोर्स कपडे को क्यों नहीं एक्सक्लूड किया। इस सिल-सिले में मैं माननीय मंत्री जी को और दूसरे मेरे माननीय सदस्यों को सूचना के लिए यह बता दूं कि दूसरे दूसरे राज्यों में, प्रान्तों में कोर्स कपड़ा, जिसको मामूली गरीब आदमी पहनते हैं एक्सक्लूड किया गया है, और यह दूसरी बड़ी आवश्यकता है, आम जनता की कि जिसके ऊपर आपके यहां विचार तक नहीं किया गया है। मैंने जो शिडूल दी थी उसमें जवाब के वक्त खाट आ गाई, झाडू आ गया, कहीं कुछ आ गई और कहीं कुछ आ गई। इस तरह से मजाक उठाने की कोशिश इनकी करके कहा गया कि ये नहीं छूट सकती। बिल्कुल सिस्टेमेटिक ढंग से दलील देने के बाद भी इस मोटे कपडे के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं समझता हूं कि विधान के अनुसार यह डिस्क्रिमिनेशन का कार्य किया गया है। जब ए. आई. एस. का एक प्रकार का मोटा कपड़ा एक्सक्लूड किया गया है, तो हर प्रकार का मोटा कपड़ा एक्सक्लूड करना न सिर्फ न्यायोचित ही है, बल्कि उपभोक्ताओं की दृष्टि से बड़ा लाभदायक है। वह आप अलग करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

मैं इन बातों की आपको ठीक होने से याद ही नहीं दिला रहा हूं लेकिन मैं जान बूझकर और समझ-बूझकर इन चीजों की ओर इशारा कर रहा हूं जिनके लिए प्रतीत होता है कि आपने गम्भीरता से विचार ही नहीं किया है, और ऐसी ही कुछ और चीजों की ओर मैं इशारा करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जहां एक्सरसाइज बुक्स, स्लेट और स्लेट पेन्सिलों को एक्सक्लुड किया गया है। मैं यह मानता हूं कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ख्याल करके शिक्षा नाम की और शिक्षा जैसी आवश्यक चीजों में किसी प्रकार की बाधा न पेदा हो, इस वजह से इन एक्सरसाइज़ बुक्स, स्लेट और स्लेट पेन्सिलों को एक्सक्लूड़ किया गया है, लेकिन विद्यार्थियों को इनके अलावा और भी कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मैंने जो संशोधन इसी बात से प्रेरित होकर इस सिलसिले में पेश किया था कि पेन होल्डर्स, पेन्सिल्स, एण्ड अदर इन्स्ट्रूमेन्ट्स एण्ड आर्टीकल्स यूज्ड फोर एजुकेशन बाई स्टुडेन्टस इन्क्लुडिंग पेपर सोल्ड इन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्वायर्स, इनके बारे में मन्जूर नहीं करने का क्या कारण है, और विशेषकर इस स्थिति में कि जब कि हालां कि वे पृथक राजस्वमन्त्री भी हैं पर साथ ही शिक्षामन्त्री भी हैं और कम से कम मैं इस चीज़ को कुबुल करने को तैयार नहीं कि उनको यह मालूम नही हो कि उनके मातहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है; जैसे कि कलर बोक्स, इन्स्ट्रूमेन्ट बोक्स आदि। तो एसी चीजों को क्यों नहीं एक्सक्लुड़ किया गया ? इसकी कुछ दलील नहीं दी गई और ऐसा जो एटीड्यूड है और यह जो उनका दृष्टिकोण है वह मेरी समझ में नहीं आया। मैं यह मानता हूं कि अब भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी यह भी मान्यता है कि इनको अगर ठीक तरह से एक्सक्लूड नहीं किया गया तो यह कह देना कि इस वजह से एक्सक्लूड हम नहीं कर रहे हैं कि इसका वास्तव में एक्सप्लोइटेशन होगा। पर यह कह देने से इस एक्सप्लोइटेशन का कोई इलाज नहीं होने वाला है। एक्सप्लोइटेशन किसी भी वस्तु का दुनिया में तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक कि हकीकतन उसकी उसकी वजह से परेशानी और हैरानी न हो। यदि आप मामूली आदमी के काम में आने वाली चीज को एक्सक्लूड कर देंगे तो कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा बल्कि मैं तो यह कहूं कि ओन क्रेडिट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं इस चीच को। एक्सप्लोइटेशन का कोई सवाल ही फिर पैदा नहीं होगा।

अन्त में मैं एक और चीज की ओर इशारा करूंगा। प्रश्न यह है कि आज यदि हम यह मानकर चलें कि ऐसा कौनसा डीलर होगा जो झाड़ू बेचता है बारह हजार की? यह हम क्यों मानकर चलें? ऐसा कौनसा डीलर होगा जो मटके और सुराही बारह हजार की बेच लेगा? अगर यह दृष्टिकोण लेकर चलें कि ऐसा कौनसा डीलर होगा - तो यह दृष्टिकोण जो है वह संकुचित तो है ही, पर इसका ताल्लुक केवल डीलर से ही हो यह भी बिल्कुल गलत बात है। मैंने साफ तौर पर कहा था कि ये वस्तुएं जो हैं जैसे अर्दन पोट्स, उनका ताल्लुक डीलर के रूप में आज समाज के सामने नहीं आता। वह आता है मेनुफेक्चरर्स के रूप में भी। वह कुम्हार मेनुफेक्चरर्स के रूप में आवेगा हमारे सामने। उसकी लिमिट दस हजार की रक्खी गई है, तो इससे उसको भी तहत मिलेगी और उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी; डीलर फिर हो या न हो। सवाल यह नहीं कि डीलर होगा तब ही प्रश्न उठेगा। इस एक्ट में दी गई परिभाषा को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि ऐसी वस्तु के किसी डीलर को एक्सक्लूड करते हैं, बल्कि सारे के सारे टर्नओवर का हिसाब लगाते हुए उसके साथ एक्सक्लूड कर दिया जावेगा; यह है। चाहे एक डीलर फिर इतनी बड़ी तादाद में बेचने वाला निकले या नहीं, पर कुल जमा जो बेचेगा उन्हीं चीजों को एक्सक्लूड करना और उन्हें न करना यह डीलर की दृष्टि से नहीं, पर उपभोक्ता की दृष्टि से आवश्यक है।

मुझे मन्त्रीजी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग में जिन बातों में निर्णय हो गया वे तो अच्छे सुझाव हो गये और उन्हें मान लिया गया, पर जिन पर वहां

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोई निर्णय नहीं हो सका या जिन पर बहस नहीं हो सकी समय की कमी के कारण, वे सुझाव ठीक नहीं माने गये। तो यह दलील कम से कम कोई मतलब नहीं रखती।

मामूली उपभोक्ता के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के रूप में जो वस्तुएं मैंने दी हैं, मैं फिर से उनसे यही कहूँगा कि वे विचार करें और एक भी वस्तु ऐसी बता दें कि जो बहुत बड़ी तादाद में मामूली उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं करता है और शहर में रहने वालों को एक्सक्लूजन दिया है, exemption दिया है तो शहर के रहने वालों को दिया है, लेकिन देहात के आदमियों के इस्तेमाल में आने वाली एक भी चीज पर एक्जम्शन नहीं दिया गया है लगभग। न कैरोसीन पर दिया है, न मेचबोक्स पर दिया है और न चार आने के टिमटिमाते हुए दिये पर दिया है जिस दिये के जरिये से वह रोशनी का इस्तेमाल करता है, फिल्टर्ड वाटर के काम में आने वाली चीज पर उन्होंने दिया है, वह शहर के अन्दर काम में आयेगी, वहां देहात के अन्दर मड वाटर जो है वह इतेमाल कर रहे हैं बिजली को एक्सक्लूड किया है, लेकिन देहात के गांवों के घरों के अन्दर दिया जलता है उसका क्या होगा ? तो सारे के सारे बिल में एक डीलर के विचार को रखा गया है। इसलिए मैं यह कहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि यह हमारी कस्टम से इन चीजों पर ज्यादा आमदनी होती है, इनको एक्सक्लूड कर दिया। मैं जानता हूं कि क्यों नहीं इन्क्लूड किया गया कि हमारा घाटा इतना ज्यादा हो जायगा। लाइव स्टोक सब को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे यहां हजारों का घाटा हो जायगा। ऐसे नोट बार बार उनके विभाग के सचिव भेजते रहे हैं और मन्त्री महोदय को सूचित करते रहे हैं और उसके मुताबिक वह तय करें कि कौनसा संशोधन अच्छा और कौन सा संशोधन अच्छा नहीं है। यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के इस्तेमाल से, उस दृष्टिकोण को आप काम में लायें तो इस निर्णय पर आप पहुँचेंगे। मैं फिर से अपना संशोधन सदन के सामने, मन्त्री महोदय के सामने और उन माननीय सदस्यों के सामने जो विशेष दिलचस्पी रखते हैं और इधर उधर बैठे हैं वह इसको मन्जूर करेंगे और इसमें तब्दीली की जायगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो एमेन्डमेंट रखे थे उनमें से सिर्फ एक संशोधन को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। वह घी, बटर और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में था। मेडीसिन के बारे में जो संशोधन था उसको माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। एग्रिकलचर इम्प्लीमेन्ट के बारे में जो संशोधन था उसको मैं समझता हूं गैरजरूरी है, क्योंकि शेड्यूल में ऑलरेडी एक ऐसी धारा है जिसके अन्दर एग्रिकलचर इम्प्लीमेन्टस और मशीनरी पर एग्ज़ेम्पशन दिया गया है। इसलिए मैं अपने इस संशोधन को वापिस लेना चहता हूं।

रहा मेडीसिन के बारे में, इसके बारे में मैं अर्ज करता हूं कि मेडीसिन एक ऐसी चीज़ है कि जो आम इस्तेमाल की चीज है और इसको यहां की जनता काफ़ी तादाद में इस्तेमाल करता है।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

तो मैं मंत्री महोदय से अर्ज करता हूँ कि कम से कम आयुर्वेदिक दवाइयों को एक्ज़ेम्प्ट कर दिया जाय, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई देहाती लोगों के काफी इस्तेमाल में आती है, इसलिए विलायती मेडीसिन्स को शायद वह एक्जेम्प्शन नहीं दें, लेकिन देहाती इलाकों में आयुर्वेदिक मेडीसिन, जो काफी तादाद में इस्तेमाल में आती है, उनको तो exemption दें।

बस मुझे इस सिलसिले में और अधिक नहीं कहना है और इतना ही कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूं। और आसन ग्रहण करनेसे से पहले मैं अपना एग्रिक्ल्चर इम्प्लीमेन्ट्स के बारेमें जो संशोधन है वह वापिस लेना चहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कौन सा ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—एग्रिकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स वाला।

श्री अध्यक्ष—दो हैं। न्यूज़ पेपर के बारे में भी है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—हां, न्यूज़ पेपर के बारे में भी है उसको भी वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं अपने संशोधन (४४ व ४५) वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Not moved.

श्री वेदपाल त्यागी—I did not move my amendment. I do not want to move it.

श्री अध्यक्ष—Should I put all these amendments to vote ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What about Motilalji's amendment?

श्री अध्यक्ष—One who wants to catch my eye, I allow him.

(विराम)

Now the amended schedule is before the House and should I put all these amendments as they are?

श्री भोलानाथ—एक एक।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन नं० ४२ श्री अवनिकुमार मुकर्जी ने रखा है "substitute the word 'excluding' occuring in item No, 2nd in the Schedule by the word "including" और जिसको मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भोलानाथ—स्वीट्स दूसरी जगह है। आपने दोनों जगह मिला दी हैं। मोडीफाइड फॉर्म में अमेंडमेंट दें तो कोई बात नहीं है, "स्वीट्स" को यहां से हटा कर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप हटा दीजिये।

श्री जवानसिंह—स्वीट्स के आगे 'देशी' लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—I think the best course would be to accept the schedule as amended and reject all the amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, no.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, मुझे रिप्लाई देना है। तो पहले तो मेरे जो अमेंडमेंट्स इस शिड्यूल के अन्दर हैं और जो स्वीकार कर लिये हैं वह ठीक हैं और बाकी के जो हैं उनको withdraw करने की अनुमति मांगता हूँ। जैसे कि शेड्यूल के अन्दर एडजस्टमेंट दिये हुए हैं; १४ आइटम्स हैं उसमें 'केरोसीन' वाले को उन्होंने नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष —तो यह रहेगा कि जितने अमेंडमेंट्स हैं उनको रखूंगा। या तो वे रिजेक्ट कर दिये जांय या वापिस ले लिये जांय और फिर शेड्यूल एज़ अमेन्डेड रख दूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्योंकि कुछ संशोधन मन्त्री महोदय ने स्वीकार किये हैं, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह तो इनकॉर्पोरेट हो गये हैं, they will not be excluded from the Act, वह आजाता है। The purpose is only to incorporate them in the Schedule.

प्रश्न यह है कि संशोधन संख्या ४३ जो कि श्री अवनीकुमार मुकर्जी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे हां' कहेंगे और जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहेंगे।

('हां' की आवाज के पश्चात्)

संशोधन गिर गया।

श्री वेदपाल त्यागी—'ना' तो किसी ने कहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन सं० ४३ जो कि श्री अवनिकुमार मुकर्जी ने रखे हैं, I think they have been withdrawn. I am sorry,

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I have withdrawn No. 43 and 44.

श्री मोतीलाल चौधरी—जो withdraw हो जाते हैं उन पर वोट करने की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—No. 45 has also been withdrawn.

प्रश्न यह है कि संशोधन संख्या ४६ जो कि श्री एच. के व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हो वे 'हां' कहेंगे और जो इसके पक्ष में नहीं हों वे 'ना' कहेंगे।

(मतदान के पश्चात)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—संशोधन गिर गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—My decision is that the 'Noes' have it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो तय हो जाय कि पक्ष और विपक्ष में कौन कौन वोट दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—Unless division is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—खड़े होकर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज़, फिर कहता हूं।

प्रश्न यह है कि संशोधन सं० ४६ स्वीकार किया जाय?

(विराम)

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, 'हां' पक्ष जीता।

श्री वेदपाल त्यागी—Ayes have it.

श्री अध्यक्ष—डिविजन चाहते हैं? Division is desired?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नम्बर ४६ श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, प्रोपर डिविजन करिये।

श्री अध्यक्ष—Ayes will go in the Ayes Lobby and Noes in the Noes lobby.

(कुछ विराम के अनन्तर)

If the Hon'ble Members want I can count the Ayes.

श्री वेदपाल त्यागी—Let us be counted.

श्री अध्यक्ष—Those who are in favour of this amendment please stand.

(खड़े हुए विरोधी सदस्यों की गणना के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Eighteen.

(विराम)

And those who are against this...

(खड़े हुए राज्य पक्ष के सदस्यों की गणना के पश्चात्)

The number excels. I need not count.

श्री हरिकृष्ण व्यास—We would like to have the votes of all of them

श्री अध्यक्ष—The Noes have it.

(कुछ सदस्यों के अभी तक सभाकक्ष में होने के कारण)

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो लोग लोबीज़ में हैं उनके वोट किधर गिने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—It is not necessary. The Ayes have lost and the Noes have it.

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता एब्सेन्ट थे और श्री मोतीलाल चौधरी का भी अमेंडमेंट था।

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट था उसमें से बहुत सी बातें मंजूर कर ली हैं; जैसे फायरवुड, चारकोल, एडिबल ऑइल्स आदि।

श्री अध्यक्ष—जो मंजूर कर लिये हैं, वे तो अमेन्डेड शिड्यूल में आ जावेंगे, किन्तु जो बाकी बचे हैं उनको विद्ड्रा करते हैं क्या?

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं इनको विद्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपने संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित शिड्यूल विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में शिड्यूल बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १ के ऊपर श्री चांदमल मेहता और श्री अबनिकुमार मुकर्जी के संशोधन हैं।

श्री चादमल मेहता—Mr. Speaker, sir, I beg to move the following amendmen to Clause 1 :

(i) "Add the following at the end of sub-clause (2) ;"Excluding Kishangarh Sub-Division, Bhopalganj and Ramganj Mandi.' "

(ii) "Substitute the following for sub-clause (3); "It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, appoint., "

अध्यक्ष महोदय,क्लॉज़ १ पर मेरे २ अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंटस यह है कि इसमें से किशनगढ़ सब डिविजन और भोपालगंज व रामगंज मंडी को एक्सक्ल्यूड किया जाय। जब जनरल

[श्री चांदमल मेहता]

डिस्कशन के बाद में माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो यह बतलाया गया था कि क्या इस सेल्स टेक्स बिल का विरोध इसलिये किया जा रहा है कि किशनगढ़ सब डिविजन भी इसमें शामिल है। हां यह सही है कि किशनगढ़ को एक्सक्ल्यूड करने के लिये लिये मैंने अमेंडमेंट रखा है और उसके पीछे काफी वजन भी है।

अध्यक्ष महोदय, आम तौर से हमारी सरकार की ओर से समय समय पर यह बात बतलाई गई है कि यदि कोई वायदा राजाओं ने किया है या पहले की सकार ने किया है तो सरकार उन वायदों को चालू रखना चाहती है। राजप्रमुख और महा राजप्रमुख के भत्तों के बारे में जब जब चर्चा की गई, तब तब बतलाया गया कि क्यों कि उनके बारे में पहले वायदा किया गया है उसीके माफक हम चलना चाहते हैं, इसलिये इसको चालू रख रहे हैं। जैसी बातें कही गई हैं वैसा बर्ताव भी किया गया है। पहले किशनगढ़ में कस्टम की छूट थी और जब वैंक्टाचार की अंतरिम सरकार राजस्थान में बनी तो उस सरकार ने किशनगढ़ पर भी कस्टम लगा दिया और बाद में जब दूसरी सरकार बनी तब राजस्थान सरकार के सामने यह बात रखी गई कि किशनगढ़ महाराजा ने जनता के साथ ऐसा वायदा किया है जिसके अनुसार किशनगढ़ सब डिविजन में कस्टम की छूट रहनी चाहिये। उसके माफक छूट रखने की हमारी मांग है। तब राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ सब डिविजन में कस्टम की छूट जारी रखी और उसके साथ ही भोपालगढ़, भीलवाड़ा में और रामगंज मंडी कोटा में भी कस्टम की माफी दी गई। तो एक बार जिस अधिकार को लेकर सरकार ने हमारी मांग स्वीकार की और किशनगढ, भोपालगंज और रामगंज मंडी को एक्सक्ल्यूड कर दिया। जब एक बार सरकार ने वायदा पूरा किया तो आज हमारी यह मांग है कि उनके वायदों को पूरा करने के लिये सरकार इसको मंजूर करेगी। एक बार जो वायदा राजाओं ने किया था, उसको आज भी सरकार मंजूर करेगी। जिन अधिकारों से कस्टम से मुक्त किया था उन्हीं अधिकारों से सेल्स टेक्स से भी मुक्त किया जायगा ऐसी मुझे आशा है।

दूसरा मेरा जो अमेंडमेंट है वह इस बात के संबन्ध में है कि इस बिल में एक धारा है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि गजट में पब्लिश होने के साथ ही यह एक्ट लागू हो जायगा। यदि हम हिन्दुस्तान के किसी भी सेल्स टैक्स एक्ट को उठा कर देखें तो उसमें यह धारा मिलेगी कि गजट में पब्लिश होने के ३० दिन बाद में वह एक्ट लागू होगा, और पब्लिश होने के बाद जो ३० दिन का समय मिलेगा, उसमें जो कार्यवाही करनी हो वह करली जाय। लेकिन हमारे यहां यह व्यवस्था है कि यह गजट में पब्लिश होते ही यह लागू होजायगा, यह ठीक नहीं है।

सेल्स टैक्स का असर किन किन लोगों पर पड़ने वाला है, उन्हें कैसे हिसाब रखना है, इसकी व्यवस्था के लिये टाइम मिलना आवश्यक है। यदि हम यह व्यवस्था करते हैं कि गजट में पब्लिश होने की तारीख से यह कानून लागू किया जाय तो कई जगह तो गजट इस कानून के पब्लिश

[श्री चांदमल मेहता]

होने के कई दिनों के बाद पहुँचता है, और यहां पर भी गजट में पब्लिश होने की तारीख के बाद ही गजट पहुँचता है, इसका नतीजा यह होगा कि जिस तारीख से गजट में पब्लिश हुआ है उसी तारीख से अगर इस कानून को लागू करेंगे तो कई लोगों को, कई दिनों तक जानकारी ही नहीं होगी कि हम पर सेल्स टैक्स लागू हुआ है या होने वाला है। परिणाम स्वरूप इस कानून के अनुसार वे हिसाब किताब नहीं रख सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके खिलाफ मुकदमें चलेंगे। उन्हें या तो सेल्स टैक्स के अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ेगी या सजा पाने के लिये तैयार रहना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो हमने ऐसी व्यवस्था रखी है कि गजट में पब्लिश होने के साथ ही लागू हो जाय, यह गलत चीज़ है। जहां जहां सेल्स टैक्स लागू हुए हैं, हिन्दुस्तान में एक भी ऐसी नजीर नहीं मिलेगी कि वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई हो। हां यह अलग चीज़ है कि राजस्थान सरकार अपनी अलग तरह की ही व्यवस्था करना चाहे; पर इससे गड़बड़ी होगी, करप्शन फैलेगा और यह एक गलत चीज होगी।

इसलिये मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह अमेंडमेंट ऐसा है कि सिर्फ टाल देने का नहीं बल्कि इसे माननीय मंत्री महोदय को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार मेरे जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर गौर पूर्वक विचार कर स्वीकार करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मेरा जो संशोधन क्लॉज़ १ के सब क्लॉज़ (३) पर है। वह इस प्रकार है।

"Subclause (3) may be substituted by the followig ;- It shall come into force from the date of abolition of Customs Duty."

मैंने यह जो संशोधन रखा है इसके कई कारण हैं। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है।

"It shall replace the inter-State transit duties."

इसके अलावा और कोई बात नहीं लिखी है। जब माननीय मंत्री महोदय ने इसे इन्ट्रोड्यूस किया था तो कहा था कि जिन चीजों पर कस्टम्स ड्यूटी लागू हैं उन पर सेल्स टैक्स लगाने की हमारी मंशा नहीं है। राजस्थान में कई चीजें जैसे ब्रास पीतल के बर्तन बनाने का काम, आइवरी का काम खूब अच्छी तादाद में होता है। उन पर अब तक कोई प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती, इसलिये कि ये चीजें राजस्थान में बनती हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद इन चीजों की बिक्री पर भी आटोमेटिकली (Automatically) सेल्स टैक्स लग जायगा।

५४-५५ का फाइनेन्शियल ईयर है उसमें कस्टम ड्यूटी से होने वाली आमदनी राजस्थान सरकार को उपलब्ध है तो फिर सरकार सेल्स टैक्स से होने वाली आमदनी का फायदा क्यों उठा रही है?

Page No.45

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

अगर कस्टम ड्यूटी की आमदनी उपलब्ध नहीं होती तो सेल्स टैक्स का फायदा उठाया जाता तो ठीक था, परन्तु जब कि कस्टम ड्यूटी है वैसी सूरत में सेल्स टैक्स का फायदा उठाना कहां तक न्याय-संगत है ?

आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उचित तो यही होता कि ३१ मार्च १९५५ तक यह सेल्स टैक्स लागू नहीं होता।

पीतल के बर्तन राजस्थान में बनते हैं और आइवरी का काम राजस्थान में होता है, उनके बारे में मन्त्री महोदय क्या कहते हैं, आया इन पर सेल्स टैक्स लगाना उचित है या नहीं ?

कुं श्री जसवन्तसिंह—(बोलने के लिये खड़े होने पर) Just one word.

श्री अध्यक्ष—You will have the right to speak, किन्तु मैं समझता हूं कि प्रिलिमिनरिली इनको (मंत्री महोदय को) सुन लें। I want to know from the Hon'ble Minister wheer ththe Bill is coming into force before 1st April, 1955 or on 1st April, 1955.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I have to speak on the general, and after that he can give his reply.

श्री अध्यक्ष— अच्छा।

कुं० श्री जसवंत सिंह—माननीय अध्यक्षजी, अभी दो संशोधन इस क्लॉज़ पर आये। एक तो मेरे मित्र माननीय मुकर्जी द्वारा जो बिल्कुल साधारण सा है और जिसके लिये जहां तक कि मंत्री महोदय के वक्तव्यों से और दूसरा बातों से मैं समझ सका हूं यह है कि जब तक कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायगा ? अब यह साफ कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। फिर भी खुशी की बात है कि जब तक कस्टम ड्यूटी लगेगी तब तक सेल्स टैक्स नहीं लगेगा।

मगर पहले किशनगढ़ से आये हुए और बाद में परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसनगढ़ में सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये, इसके लिए जो दलील दी, इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ अर्ज करना है।

यह तो हम सदन में रहने वाले सभी जानते हैं कि वे माननीय सदस्य किशनगढ़ के लिए कितना झगड़ा करते हैं और किशनगढ़ की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, इसके लिए उनको सराहना करते हैं और इसके लिए उनको इसका श्रेय है।

(हंसी)

Page No.46

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

पर किशनगढ़ के लिये सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाय, इस दलील के पीछे गलत फहमी है। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से आपके द्वारा अर्ज करूं कि किशनगढ़ से कस्टम ड्यूटी हटाई थी; उसमें मेरा भी हाथ था। अभी यह दलील दी गई है कि अगर किशनगढ़ में सेल्स टैक्स लगाया गया तो वह किशनगढ़ के साथ अन्याय होगा। जब किशनगढ़ में कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती थी तो सेल्स टैक्स भी नहीं लगना चाहिये, यह युक्ति ठीक नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स ये दोनों अलग अलग विषय हैं। ऐसी कई पार्ट ए. स्टेट्स हैं जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती थी पर अब उन सब जगहों में सेल्स टैक्स लग रहा है। किशनगढ़ के पड़ौस में ही अजमेर एक सी. क्लास स्टेट है, वहां, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, पर अब वहां सेल्स टैक्स लगता है या नहीं; इसकी मुझे पक्की जानकारी नहीं है पर वहां लग सकता है। आशा तो ऐसी की जाती है कि सेल्स टैक्स वहां लागू है। बजट में बैलेन्स करने के लिये केन्द्रीय सरकार इस पर जोर देगी कि सेल्स टैक्स लगावें।

उनकी दलील अगर यह है, कि कस्टम ड्यूटी वहां नहीं है इसलिये सैल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये तो राजस्थान में अलग अलग पोकेट्स नहीं बन सकती। केवल एक किशनगढ़ ही एक ऐसा स्थान नहीं कि जहां कस्टम ड्यूटी नहीं लगती हो, बल्कि राजस्थान में और भी कई पोकट्स थी कि जहां मंडियों को, बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिये कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। पुरानी रियासतों में भी ऐसी जगहें थी जहां कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। अगर उनकी दलील को स्वीकार किया गया तो राजस्थान में कई पोकेटस हो जायेंगी।

इसलिये मुझे दुख है कि इस विषय पर मुझे माननीय सदस्य का विरोध करना पड रहा है। इससे यह नहीं समझा जाय कि किशनगढ़ से मुझे किसी प्रकार का विरोध है। राजस्थान में सेल्स टैक्स आयेगा तो राजस्थान में कोई हिस्सा ऐसा नहीं रह सकता जि जहां सेल्स टैक्स नहीं लगे।

मैं आशा करता हूं कि माननी सदस्य या तो अपने अमेन्डमेन्ट को यह बातें सुनकर अपने आप वापस ले लेंगे नहीं तो फिर सदन की राय के लिये प्रेस करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो एक अमेन्डमेन्ट फागो से आये हुए माननीय सदस्य ने व दूसरा अमेन्डमेन्ट परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उनका ताल्लुक इस एक्ट के लागू होने से है। दोनों संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं।

एक बात तो यह है कि ऐसे एक्ट के लागू करने के पहले यह तय हो जाना चाहिये कि अमुक समय से यह लागू होगा। यह जानकारी लोगों को पहले से हो जानी चाहिये और

Page No.47

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह तभी हो सकता है जब कि इस क्लॉज़ में संशोधन कर दिया जावे और यह लिख दिया जावे कि जिस दिन गजट में तारीख लागू होने का शाया कर दी जावेगी उसी दिन से यह एक्ट लागू होगा। आज नोटिफिकेशन निकाल कर यह तय कर सकते हैं कि एक दो महीने के बाद यह लागू होगा। इससे फागी से आये हुए माननीय सदस्य का संशोधन भी जोड़ा जा सकता है। आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में कुबूल किया है कि "It will replace the inter-State transit dnties" लेकिन जहां तक उसके क्लॉज़ेज़ का ताल्लुक है इसमें कोई व्यवस्था नहीं है और जब हम इस बात को मानते हैं कि कस्टम का अन्त होने पर ही सेल्स टैक्स लागू होगा तो यह आवश्यक है कि इसको इसका एक अंग बना दिया जावे। यह तभी लिया जा सकेगा जब फागी से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार कर लिया जावे और दोनों को मिला कर यह कर लिया जावे: "It shall come into force on a date appointed in this behalf by the State Government after having abolished the Customs Duty." कस्टम्स डिपार्टमेंट को खत्म करके उस दिन से या जब मार्च १९५५ खत्म हो या अप्रेल १९५५ से इसको शुरू करें। लेकिन दोनों शर्तें होनी चाहिये। एक तो यह कि पहले तारीख मुकर्रर की जावे कि फलां तारीख से सेल्स टैक्स चालू होगा और दूसरा यह कि कस्टम ड्यूटी को एबोलिश किया जावे।

इसके अलावा एक और बात है, जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वह यह है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जिन पर अभी कस्टम है और उनको हमने सेल्स टैक्स से एक्सक्ल्यूड किया है और कुछ रिवर्स (reverse) भी वस्तुएं हो सकती हैं। अगर इसमें स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया और गजट में एक्ट पास होने के बाद छप गया तो इससे कठिनाई होने वाली है, चाहे वह एक महीने का अर्सा भी रहे, इसलिये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिये कस्टम को हटाने के साथ २ इसको जोड़ दिया जावे। फागी से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है अगर उसको रख दिया जावेगा तो ठीक रहेगा। अगर इसमें सरकार को कुछ हिचकिचाहट होती है तो हमें भी गवर्नमेंट के ऐलान पर शक होने की स्थिति पेदा होती है अगर उनको इसमें थोड़ी सी परेशानी है तो मैं यह कहूंगा कि उन्होंने इस बिल को पेश करते समय जो यह ऐलान किया था कि कस्टम हटा कर उसको एवज में सेल्स टैक्स कर रहे हैं, तो इस ऐलान का सही प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है और इससे सदन में ही नहीं राजस्थान के कोने २ में और राजस्थान के करोड़ों लोगों के दिलों में शंका होगी और उसको दूर करने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के क्लॉज़ को अंग रूप में स्वीकार कर लिया जावे। इन्हीं शब्दों के साथ फागी से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, वह व्यवहारिक और वाजिब है और उन्होंने तारीख और गजट में शाया होने की बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं और परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन पेश किया है, उनको इन विचारों के बाद पास किया जावे।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है कि किशनगढ़ और मदनगंज को सेल्स टैक्स से अलग रखा जावे, इसके बारे में मुझे कोई दलीलें देने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि वह ऐसा अमेंडमेंट है जिसका व्यवहारिक तौर से कोई सम्बन्ध नहीं है और मेरा काम लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने कर दिया है।

दूसरा अमेंडमेंट डेट के बारे में है, वह ठीक सा है और यदि उसकी भाषा बनादी जाती है तो ठीक रहेगा। यह इस प्रकार हो सकता है।

"It shall come into force from such date as the State Government may by uotification in the Rajasthan Gazette appoint."

यह अमेंडमेंट ठीक है और उसको पुराने ओरिजिनल क्लॉज है उससे सब्स्टीट्यूट कर दिया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उसको स्वीकार करता हूं लेकिन जो संशोधन माननीय फागी से आने वाले सदस्य ने रखा है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता क्यों कि यह निश्चित बात है और यह बार बार कहा गया है कि कस्टम नहीं लगेगा और उसके एवज में सेल्स टैक्स लगेगा; उसके बाद भी इस प्रकार का संशोधन लाने से कोई फायदा नहीं। अब उसके बाद यह प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट उसको गजट में शाया कर देगी। उसके मुताबिक जो पोजिशन आवेगी वह आवेगी। उसके लिये कस्टम एबोलिशन की बात कही जाती है। लेकिन मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट्स को मिला कर जो एक खिचडी का सा एमेन्डमेंट देने की कोशिश की है और इस प्रकार वे यह चाहते हैं कि सब खुश हो जावे, उन्हो ने सब के अमेंडमेंट्स का समर्थन किया है; लेकिन वास्तव में देखें तो उन्होने किसी का भी समर्थन नहीं किया। इसलिये श्री चांदमलजी ने जो संशोधन रखा है उसको मैं मजूंर करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसका मतलब यह होगा....

श्री अध्यक्ष—The Hon ble Member has no right to speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking a clarification, Will it be possible, as the matter stands, for the Government by notifi-cation to enforce this Act before the Customs Duty is abolished.

श्री अबनिकमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मेरे अमेंडमेंट को अस्वीकार किया गया है। मैंने दो बातें अपने अमेंडमेंट में रखी थी। एक तो यह कि मौजूदा साल में कस्टम ड्यूटी उपलब्ध है तो ऐसी हालत में सेल्स टैक्स की आमदनी का फायदा क्यों उठाना चाहिये ?

श्री भोलानाथ—नहीं उठाना चाहिये।

Page No.49

श्री अबनिकुमार—इसके अलावा दूसरी बात मैंने यह कही थी कि यहां पर बहुत सी चीजों पर कस्टम ड्यूटी नहीं थी जैसे पीतल के बर्तन आदि उन पर कोई कर अभी नहीं लगता, मगर सेल्स टैक्स लागू होने से उन पर ओब्लीगेटरी (Obligatory) तौर पर टैक्स लग जावेगा। उसका कोई उत्तर देते, मगर उन्होंने गोलमाल उत्तर दिया है उससे मुझे संतोष नहीं है। अगर आप अपने उत्तर में इसके कारण बताते तो मुझे खुशी होती।

श्री अध्यक्ष—Best suited for that.

श्री अबनिकुमार—यह गोलमाल जवाब देने का एक अच्छा पुराना तरीका है जब कोई उत्तर देने को नहीं हो तो इस प्रकार गोलमाल उत्तर दे दिया जाता है। इसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता और इसलिये मैं तो अपने संशोधन को वापिस लेना नहीं चाहता। इस पर मत ले लिये जावें।

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो अपना अमेंडमेंट किशनगढ़ और मदनगंज को एक्सक्लूड करने के लिये पेश किया उसको वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने कि अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज़ (३) के बारे में श्री अबनिकुमार मुकर्जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

यह संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ १ के सब क्लॉज़ (३) पर जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल और टाइटल ऑफ दी बिल विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल और टाइटल ऑफ दी बिल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए ।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह बिल पास किया जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point, of order, Sir, as an amendment has been made to the Bill, I object to this motion being made today.

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में पहले रूलिंग दी जा चुकी है । It is not necessary that it should be unnecessarily adjourned for the next day.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मुझे इस पर बोलना है ।

पृथक राजस्व मंत्री ने अभी २ एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि यह जो संशोधित बिल है, जिसका नाम है राजस्थान सेल्स टैक्स बिल, १९५४ उसको स्वीकार किया जाय । मैं यह चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि हमने इस बिल के कई रूप देखे हैं, एक बार इसका रावण भी देखा है दस मुंह वाला ।

("क्या यह पार्लियामेंटरी है" ऐसी आवाज एवं " राम रूप भी देखा है " ऐसी भी आवाज)

आप जल्दबाजी न करिये । अब इसका बहुरूपिया रूप हो गया है ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो यह अलग २ स्टेजेज में से गुजरा है। जिस प्रकार कि इसका आज स्वरूप है और जिसको हम आज पास करने जा रहे हैं तो पूरे तौर पर टोटली इसका क्या अर्थ होता है, इस पर गौर करना आवश्यक है।

यह बात सही है कि जब हम इस बिल पर खोज करने बैठते है. तो राजस्थान की विशेष परिस्थितियां हमारे सामने रहती है और रहनी भी चाहिए और वे यह है कि राजस्थान में कस्टम ड्यूटी नाम का एक बहुत ही लोगों को परेशान करने वाला एक टैक्स यहां मौजूद है, पहले से और उस कस्टम ड्यूटी के हट जाने के बाद अथवा उसके एवजाने में जो रिप्लेसमेंट, उसको खत्म करके उसके एवजाने में दूसरा टैक्स लगाने के रूप में सेल्स टैक्स प्रस्तुत किया जा रहा है और पास किया जा रहा है वह परिस्थिति आज हमारे सामने हैं और उससे इन्कार नहीं कर सकते। तो क्या इस बिल को पास करते समय ऐसी स्थिति हमने पैदा कर दी है कि हम तसल्ली से कह सकें, अपने लिए और राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के लिए. कि यह जो नया टैक्स का बोझा आप पर लगेगा वह कस्टम के एवजाने में लगेगा ? हम यह चाहते थे, माननीय अध्यक्ष, कि हम यह बात निश्चित तौर पर कह सकते, हमारी यह इच्छा थी कि ऐसी बात निश्चित तौर से कहने की स्थिति पैदा की जाय, लेकिन सख्त अफसोस है कि आज ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की गई।

यह ठीक है कि इस सदन में खड़े होकर कुछ मित्रों ने आश्वासन दिये, लेकिन अब तक के आश्वासनों का जो असर हुआ है उनको देखते हुए कोई निश्चित रूप से इस बात को नहीं कहा गया जैसा कि जो आश्वासन हम सुन रहे हैं वह एक कानून निश्चित तौर पर लागू होने वाली चीज़ बन जायगी और यह शक और यह शुबाह इसलिए भी बढ़ जाता है कि बहुत ही सीधा, मामूली और अपने नजरिये को साफ रखने वाला संशोधन प्रस्तुत किया गया था कि कस्टम ड्यूटी खत्म होने के बाद ही इस टैक्स को लागू किया जायगा, या नहीं, वह संशोधन भी अस्वीकार कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है, इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ नीयत के अन्दर घोटाला है, इसका मतलब यह है कि आश्वासन देने की जुबान के अन्दर कुछ न कुछ छिपा हुआ है और उसका प्रयोग शायद किया जायगा।

('क्या यह पार्लियामेंटरी है ? ऐसी आवाज)

'यह पार्लियामेंटरी नहीं है" यह कहना केवल एक कोशिश का नतीजा है, जिसके लिए अपना काम निकालना जरूरी है।

पहली चीज, इसको पास करते समय क्या परेशानी पैदा करती है वह यह है कि कम से कम इतना भी आज हम नहीं कह पायेंगे कि कस्टम्स ड्यूटी की एवज में यह टैक्स आप लोगों पर लगाया जा रहा है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष, कि इसको पास करते समय जो उसूल हमने इस बिल के द्वारा, जो टैक्स का तरीका हमने इस बिल के द्वारा लागू किया है क्या वह इस विचारधारा से इस सदन में इस बात की शुरुआत थी कि वह उसको पूरा करने वाला है ? मैं यह समझता हूँ कि उसमें भी बहुत सी खामियां रह गई है और विशेष कर बजाय उन चीजों के कि जिन पर हम काफी बहस कर चुके हैं मैं निवेदन करूं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से टोटेलिटी में सारे के सारे क्लॉज़ेज़ को मिलाकर, सारे के सारे संशोधनों को मिला कर और कुल जमा मिला कर जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया या जो हम खास चीजें पास करने जा रहे हैं और उसके जो उसूल हैं, कमजोरियां हैं वहां एक खास चीज़ ऐसी रख दी गई है जो परेशानी पैदा करेगी और वह यह है कि सेल्स टैक्स सिंगल पोइन्ट हमने मुकर्रर कर दिया है लेकिन वह कौनसे पोइन्ट पर लागू होगा फर्स्ट पोइन्ट पर लागू होगा या लास्ट पोइन्ट पर लागू होगा ! इसके बारे में अब तक कोई सफाई न तो जहां ये भाषण हुए हैं उनमें हुई है और न इस बिल में हुई है। यहां तक कि क्लॉज नं० ५ का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसको अस्वीकार करने के सिलसिले में कुछ बातें की गई थीं लेकिन एक रात गुजर जाने के बाद वह परिस्थिति भी बदल गई और जो स्वीकार थी अंगरूप में थी उसमें भी यह कहा गया है कि एसेन्शियल कोमोडिटीज़ है उनमें तो कमसे कम यह टैक्स "Will always be payable in the last series of sucd sale." यानि जो आवश्यक वस्तुएं गिनी गई जिन्हें एक्स्क्लूड नहीं किया गया है उन पर सिंगल पोइन्ट टैक्स वसूल होगा। लेकिन कहां किस स्टेज पर ? लास्ट पोइन्ट ऑफ दी सिरीज पर होगा, जब वह उपभोक्ता के पास जाने की स्थिति में होगी, तब सिंगल पोइन्ट टैक्स लगेगा और लास्ट पोइन्ट ऑफ सिरीज पर लेवी करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर गलती से जिस प्रकार का कायदा हमने पास किया है उस कायदे की खूबी से इस टैक्स का बोझा उपभोक्ता पर पड़ने में अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा करने की गुन्जाइश हो तो वह भी न रहे और लास्ट पोइन्ट ऑफ सीरीज पर लागू होने वाला टैक्स "last point in the sales will always be levied"

यह एक मिसाल है इस बात की कि एक ओर हम मल्टीपोइन्ट सेल्स टैक्स के एवज में सिंगल पोइन्ट सेल्स टैक्स पर आये और सिंगल पोइन्ट टैक्स के इसेन्शियल आर्टिकल्स पर खास तौर पर लास्ट पोइन्ट ऑफ सीरीज पर टैक्स लगाया। यह कौनसा कन्सिस्टेन्स है ? और इस कन्सिस्टेन्स के न होने का एक आधारभूत कारण है। कारण यह है कि इस सारे के सारे बिल में जिस व्यक्ति का ख्याल रखना था वह है राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता, कन्जूमर। उसका ख्याल नहीं रखा गया है। यह एक दूसरी परेशानी है, दूसरी शिकायत है जो इस बिल का नया स्वरूप पेश कर देता है। यह दोनों स्वरूप पेश कर देता है जो चुभते हैं। कस्टम ड्यूटी हट जाय और उसकी एवज में यह लग जायगा, यह पहले चुभेगा क्योंकि उपभोक्ता का कहीं ख्याल नहीं किया गया है। यह भीतर शिड्यूल में भी नहीं है। जो लिमिट्स हमने मुकर्रर की। मैंने हिसाब लगाने की कोशिश की, माननीय अध्यक्ष, तो भारत के इन्कम टैक्स विभाग ने भी ३६०० के लगभग जिस किसी व्यक्ति की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आमदनी हो तो इतनी आमदनी वाले को इन्कम टैक्स से बरी किया गया है। लगभग तीन सौ रुपया माहवार की आमदनी के उपर इन्कम टैक्स लगाया है।

("४२०० पर है" ऐसी आवाज)

मैं कम बोल रहा हूं। तीन सौ से ज्यादा है। उसके मुकाबले में २५० या २०० रिटर्न वाले व्यौपारी को लें और जो भारत सरकार की कमेटी है, फेयर प्रोफिट लेवी करने के सिलसिले में मुकर्रर की गई है हमारी उस कमेटी ने सर्वे करके ६½ परसेन्ट फेयर प्रोफिट की लिमिट गिनी है और ६½ प्रोफिट की लिमिट भी गिने तो क्या ३० रुपया माहवार की बचत हो जायगी, इतनी आमदनी हो जायगी और ग्रोस आमदनी भी इतनी हो जाय तो ६½ पर्सेन्ट के हिसाब से इसके लिए भी कम से कम २० हजार रुपयों का टर्न ओवर का फिगर आपके सामने आयगा।

अगर एक मामूली व्यापारी जो कुल जमा मिलाकर १५०, रूपया या १०० रूपया महिने के अन्दर बचत करने की स्थिति में है, तो उसका टर्न ओवर बीस हजार रूपया साल का होना चाहिये। अगर बीस हजार रूपया साल का टर्न ओवर नहीं तो या तो वह ब्लेक मार्केट करता है, या सिक्स एन्ड हाफ परसेन्ट ज्यादा मुनाफा कमाता है, या उसके दिवालिया निकालने की स्थिति पैदा हो जायगी सही बात तो यह रहती हमारे लिये ईमानदारी की बात यह रहती जो भारत सरकार ने इन्कम टैक्स के सिलसिले में स्टेंडर्ड लागू किया है, उसको कबूल करके ६॥ परसेन्ट उसकी केपीटलाइज की वेल्यू का कितना टर्न ओवर होता है, उसको देखने की कोशिश नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि आज टेक्स का टर्न ओवर जो इस समय रखा हुआ है, उसका नतीजा यह होगा कि ९० प्रतिशत व्यापारी इसके मातहत आ जायेगें।

जिस टैक्स को सिंगल पोइन्ट टेक्स कह कर आप लगा रहे है, जिसको अपने ढंग का एक टैक्स बना कर कस्टम की एवज में लागू कर रहे हैं, और आपका कहना है कि हमने इसी नीयत से यह रखा है, इसका बोझ छोटे छोटे लोगों पर न पड़े, न छोटे व्यापारियों पर पड़े और न सामान्य उपभोक्ता पर पड़े, वह नीयत, वह मन्शा इस बिल के क्लाजों के अन्दर लगातार तोड़ी मरोड़ी है। अब इसका हाल यह हो गया कि टेक्स का टर्न ओवर शिड्यूल और इसके अलावा राजस्थन सरकार ने जिस प्रकार के विशेषाधिकार अपने पास रखे हैं वे चाहेंगे जिस पोइन्ट पर टेक्स लागू कर देंगे। इन तीनों चीजों के सम्मिश्रण का नतीजा यह हुआ है, कि यह सेल्स टेक्स बिल जिसको हम पास करने जा रहे हैं इसमें सन्तोष मान कर कि इससे कस्टम हट जायगा, यह न होकर परेशानी का बायस पैदा कर रहे हैं उन करोडों लोगों के लिये जो यह सोचते थे कि कस्टम्स ड्युटी हटने के बाद परेशानी कम होगी, लेकिन जिस तरह का बिल यह पास कर रहे हैं, उससे ज्यादा परेशानी होगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अन्त मे मैं यह कहूंगा कि इस बिल के जरिये टेक्स का जितना अविकृत बोझा लागू कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक नया बोझा और लागू कर रहे हैं, इस बात को भूले नहीं। अपना मत देते समय, अपनी सम्मति देते समय, अपनी राय देते समय इन चीजों पर अवश्य विचार किया जाय एक और नया बोझा लागू कर रहे हैं इससे मेरी राय में लोग त्राहि त्राहि करने लगेंगे यह मैं एग्जा[illegible] के इरादे से नहीं कह रहा हूं, जो हकीकत है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस बिल में सेल्स टेक्स इन्स्पेक्टर को जिस प्रकार के अधिकार दिये है, इस बिल में असेसिंग ऑथोरिटी को निरंकुशता के लम्बे - चौडे अधिकार दिये गये है उनका तात्पर्य यह होगा कि सन् १९४३ से लेकर सन् १९५० तक सिविल सप्लाइज़ के एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स का जो हाल था कन्ट्रोल की दुकानों पर, शक्कर की दुकानों पर, जिन इन्स्पेक्टरों की २५ रू० से १० रूपये तक की आय बन्धी हुई थी जिनके लिये हरक दुकान से रकम नियत थी, चद्दरों के अन्दर, सीमेन्ट और गर्डर्स के अन्दर जिस प्रकार का गोलमाल होता था, जिसमें इन्स्पेक्टर नाम की एक चीज व्यापार में हिस्सेदार के रुप में सामने आ जाती था, वही स्थिति इस सेल्स टेक्स के क्लॉज़ेज़ के जरिये हम पैदा करने वाले हैं। हमने इस बिल में इन्स्पेक्शन के ऐसे अधिकार दिये हैं, एन्ट्री के ऐसे अधिकार दिये हैं, दस्तावेजों के छीनने आदि के ऐसे अधिकार दिये है, और सब से बड़ी बात यह है कि इसमें हमने मनमाने अधिकार अधिकारियों को दिये हैं। जिस व्यापारी ने, इन्स्पेक्टर की रॉयल्टी नहीं दी, सरकार का टेक्स तो दूर रहा, पहले वह अपना टेक्स वसूल करेगा। इसतरह से न सरकार के घर में वह रुपया जायगा और उल्टा लोग तंग आ जायेंगे। इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ इस बिल में हैं। आज कस्टम से राहत मिलने पर लोग यह अनुभव करते थे कि हमें कस्टम से तो राहत मिली, लेकिन इस बिल के कारण यह सन्तोष एक्ज़ाजरेशन के रूप में परिणत हो जायगा। इससे यह होगा कि जनता का सन्तोष बहुत बड़े गुस्से के रूप में परिणत होजायगा। नतीजा इसका यह होगा कि सेल्स टेक्स के लाने वलों को गाली देंगे और कहेंगे कि हमें भुलावा देकर कि कस्टम माफ होजायगा सेल्स टेक्स लागु कर दिया। कस्टम का हटाना भूल था, इससे तो कस्टम में इतनी परेशानी नहीं थी, इस प्रकार के लोगों के विचार हो जायेंगे। आज कस्टम तो हटा रहे हैं किन्तु इससे हम एक विषम स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। इस [illegible] मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह बिल पास करने से पहले हम यह देखले कि तीन बुनियादी चीजें [illegible] इस बिल की है वह पूरी हो रही है या नहीं। वह तीन चीजें इस प्रकार है:

[illegible] टेक्स का टर्न ओवर बढाना २. शिड्यूल केअन्दर सामान्य लोगों के इस्तेमाल की चीजें [illegible] जोड़ना और ३. सेल्स टेक्स के लिये जो नये अधिकारी है, उन अधिकारियों के हाथ में इत[illegible] निरंकुशता के अधिकार न दें, तब तो शायद जनता को सन्तोष हो सकता है और कस्टम के एवज में राजस्थान की जनता सेल्स टेक्स को स्वीकार कर सकती है। अगर यह तब्दीलियां नहीं की जाय और जैसा कि मालूम पडता है नहीं करने जा रहे हैं तो फिर इस बिल को लागू करने का केवल एक ही नतीजा होगा और वह यह कि साफ तौर से न तो कस्टम ही टूट सकता है और न इस बिल से उपभोक्ताओं के हित की रक्षा ही हो सकती है। अगर इस वजह से जनता विरोध करेगी तो उनका विरोध वाजिब होगा। इस बिल की विषम खामियों की ओर मैंने सदन का और माननीय मंत्री का

Page No.55

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की हैं। अतः मेरा उनसे फिर से निवेदन है कि इस बिल को पास करने से पहले इन खामियों को दूर करें नहीं तो परेशान जनता जो कि पहले से टेक्सों के बोझ से लदी हुई है फिर इस टेक्स से और बरबाद होगी। अतः मैं दरख्वांस्त करता हूं कि जब तक इन खामियों को दूर नहीं कर दिया जाता इस बिल को पास न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—This is not within the scope of the debate. We cannot reconsider it. Either we pass it or we reject it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Third stage is a stage, Sir, where any clause which is inconsistent with the general principles of the Bill, can also be discussed.

श्री अध्यक्ष—We have defined 'Scope of Debate' in Rule 147:- "The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character." So the Hon'dle Member cannot reconsider it. Either it should be rejected on these grounds or passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is precisely what I was putting that, unless you remove those defects; the very purpose of the Bill is going to be defected.

श्री अध्यक्ष—That is not the argument that it should be reconsidered on these lines.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If my arguments are convincing, we can certainly reconsider it. Where is the bar to do so.

श्री अध्यक्ष—Either the House should pass it or reject it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At any stage we can reconsider it.

श्री अध्यक्ष—I doubt it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You may doubt it but I think so. Any way the question of reconsideration is not entirely dependent on my understanding. Therefore we may leave it out for the time being.

श्री अध्यक्ष—My observation is only to limit the debate according to the rules prescribed in the rules of Procedure.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In any case I am coming to the end of my speech and therefore, I only wish to say straight away that if you do not want to remove its defects, then better reject it.

श्री अध्यक्ष—Arguments concluded ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was interrupted just when I was to conclude.

तो मैं यह कह रहा था माननीय अध्यक्ष, कि इस बिल को पास करते समय यदि हम ऐसी चुभने वाली कमियों को दूर नहीं करेंगे और जैसा कि अभी प्रश्न आया है फिर से इस पर विचार किया जा सकता है या नहीं, इस बहस में न जाते हुए, इन खामियों के रहते हुए इस प्रकार का बिल हमारे हाथों की मोहर लग कर जनता में जाना, यह नई नई परेशानियों का बायस है और इन खामियों के रहते इस प्रकार के इस बिल को पास करने की मैं तो कम से कम कोई आवश्यकता नहीं समझता। यदि कोई कठिनाइयां इसमें आती है, इस पर पुनर्विचार करने में, तो इसको वापिस लिया जावे, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, पर इन खामियों के साथ इसको कभी भी पास नहीं किया जावे। फिर अभी तो कस्टम को भी खत्म होने की जो मियाद है, उसमें भी काफी दिन बाकी हैं क्योंकि इन खामियों के साथ पास करने से कल शायद ऐसा न हो कि राजस्थान की आम जनता यहां के रहने वाले डेढ़ करोड़ लोग यह न कहे कि कस्टम हमारे पर था और इस ऐसे गरम गरम तवे पर हमारे पांव पड़ गये थे कि हमारे पांव जलतें थे, हम उससे परेशान थे, जल रहे थे हमारे पाव तेजी से और उसे तुमने उठाया, बहुत अच्छा किया कि उठाया ; पर एक तरफ तो तुमने तवे पर से अलग उठाया पर दूसरी तरफ ऐसा किया कि उसे वहां से उठा कर भट्टी में डाल दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ। जल, हम पहले भी रहे थे और आज भी (जल) रहे हैं, हमारी कोई तसल्ली इससे नहीं, एक कढाई से निकाला और दूसरी में झोंक दिया। इस वजह से मैं कहूंगा कि इस पर विचार किया जावे और इन कमियों को दूर करें। यह मैं उन पर छोड़ता हूं कि इनको दूर करने के लिये क्या किया जावे और क्या न किया जावे। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि इन खामियों को हटाया जाय। राजस्थान के लोग इस बात को समझेंगे कि अगर आपने इन खामियों को लेकर इस बिल को पास कर दिया तो उस वक्त कोई सदस्य कम से कम ऐसा था तो सही कि जिसने समय पर इन खामियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि इन खामियों के साथ इसे न पास किया जावे और अगर पास ही किया जावे तो खामियों से रहित इसे पास किया जावे। मैं ऐसी अपनी राय प्रस्तुत करता हूं और एक बार और इस बात पर जोर लगाऊंगा कि इस बिल के समर्थकों को ऐसा तो एक मौका और दें कि वे सीना तानकर कह सकें कि हमने कस्टम का बोझा हटा कर यह बोझा डाला है। तो मैं इन ऑल फेयरनैस (in all fairness) में यह कहना चाहता हूं कि आप यह तो साफ साफ कह दें कि कस्टम के साथ साथ इनको लगाना चाहते हैं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन शब्दों के साथ मैंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इससे कुछ न कुछ उनको सोचने समझने में आसानी होगी और अगर नहीं होगी तो वे जानें।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष...

श्री मुक्तिलाल मोदी—वाह साहब हमें नहीं बोलने दीजियेगा क्या ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—आप आईज़ कैच नहीं करते हैं और जब मिनिस्टर को बोलने को कह देते हैं तो आप खड़े होते हैं। यह आज ही नहीं कई बार होता है।

श्री मुक्तिलाल—मैं तो आपकी ही तरफ देख रहा था साहब ?

श्री अध्यक्ष—आपका चेअर की तरफ मुंह नहीं था। आपको तुरन्त खड़ा होनाचाहिए। देर से खड़े होते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, आईज़ कैच करते नहीं हैं और फिर खड़े होते हैं और दूसरे को कह दिया जाता है बोलने के लिये तो आप आपत्ति करते हैं कि मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, मैं नहीं समझ सका कि इतनी मेहनत करने के बाद भी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इतनी शिकायत करने की आवश्यकता हुई और वे बातें फिर कहीं गई जिनका कि अब अवसर नहीं रह गया था। सवाल यह है कि जहां तक इस बिल के ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स का सवाल है और जो कुछ भी बातें इस बिल में रक्खी गई हैं वे बहुत सोच समझ कर रक्खी गई हैं और हाउस की उस पर पूरी राय हो चुकी है और जो खामियां थीं और जो संशोधन किये जा सकते थे वे बराबर सभी लोगों की राय से किये गये। सम्भव हो सकता है कि किन्हीं एक-दो अमेंडमेंट्स के बारे में मतभेद हुआ हो। पर मुख्य मुख्य बातों को इसमें समावेश करने की कोशिश बराबर की गई।

कस्टम का यह रिप्लेसमेंट है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वैसे भाषण देने के लिये तो कुछ भी कहा जा सकता है।

बार-बार यह कहा गया है कि जिन आइटम्स पर सेल्स टैक्स लग जावेगा, उस हालत में उन आइटम्स पर कस्टम नहीं रहने वाला है। पर इतना कहने के बाद भी कन्फ्युज़न क्रिएट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अर्ज कर दूं कि पिछली बार हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाया और जब इस पर सेल्स टैक्स लग गया तो इस आइटम को हमने कस्टम से हटा दिया और इसके बाद सेल्स टैक्स पेट्रोल पर दूसरे एक्ट के मुताबिक लग रहा है; नहीं कि कस्टम के रूल्स के हिसाब

[श्री भोलानाथ]

से लग रहा है। तो इसकी स्थिति भी ऐसी ही है डबल टेक्सेशन का प्रश्न ही नहीं होता। इस पर ज्यादा क्या अर्ज करूं। साफ साफ है इस बिल में कि जिन पर कस्टम हटाकर सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया है, वहां किसी पर कस्टम अगर वसूल भी कर लिया गया है या कर लिया जावेगा तो उस पर भी रिबेट की शक्ल में माफ करने का सवाल तक आया हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि फिर ऐसा कन्फ्यूजन करने की क्या आवश्यकता है। हां, फिर इसको आप राम रुल मानिये या रावण रुल मानिये; कुछ भी मानिये इतना जरूर है कि इस सेल्स टैक्स से बचने का जरूर कोई प्रश्न अब नहीं रह गया है, क्योंकि यह तो कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवाइड है और इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा देर करने की कोई आवश्यकता है। फिर जैसी कि हमारी हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ अब तक चली हैं आगे चलने वाली है उसमें अगर इस बिल को हमने पास नहीं कराया तो इसके लिए दुबारा इस सदन का मिलना सम्भव नहीं होगा और अगर मिलेंगे तो फिर बजट के सिलसिले में मिलेंगे। ऐसी हालत में फिर जो मियाद हमारी कस्टम को हटाने की है वह ३१ मार्च, ५५ है और तब तक यदि हमारे पास इसको सब्स्टीट्यूट करने को दूसरा कानून नहीं रहता है तो इस हालत में कस्टम को हटाने में दिक्कत आ सकती है और उसको चालू रखना जरूरी हो जाता है, जिसको आगे चलाने की अब कोई गुंजाइश नहीं मालूम होगी और फिर बिना इसके और किसी कारण से कस्टम को अबोलिश कर देना व्यवहारिक कदम भी नहीं हो सकता।

अब इसके सिंगल पोइन्ट से इस प्रकार की बातें बन गई हैं और तकलीफें लोगों की बढ़ गई हैं, ऐसी बातें भी कही गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी यह मंशा बिलकुल नहीं है कि इससे कोई तकलीफ हो। यह मैं साफ अर्ज कर रहा हूँ। यह टैक्स फर्स्ट पोइन्ट पर लगाने की बात है और हम यह चाहते थे कि राजस्थान के लोगों पर कस्टम के तरीके से जो टैक्स लगता है उन पर इस तरह से कोई टैक्स इसके एवज में लग जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का यह कहना था कि अगर आप इसेन्शल गुड्स पर टैक्स लगावें तो हमारी कोन्फरेन्स से लास्ट पोइन्ट पर लगावें। और हमने उनकी विचारधारा के मुताबिक यह सोचा कि और जगह पर उनका यह ढंग है तो जब तक उनकी इजाजत न हो तब तक डिपार्चर इससे न हो और कोई भी एक्ट लागू हो तो उनके विरोध में जाता है, इसलिये केवल एसेन्शियल गुड्स के बारे में रूल्स को छोड़कर इस बिल को कामयाब बनाना कोई माने नहीं रखता।

इसके बाद मैं नहीं चाहता कि टर्न ओवर के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में दुबारा चर्चा करके सदन का समय लूं।

यही बात शिड्यूल के बारे में है। इस पर चर्चा करके भी मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता।

शिड्यूल में और टर्न ओवर में जो कुछ हमने रक्खा है वह काफी व्यवहारिक है और सभी बातें व्यवहारिक दृष्टि से रक्खी गई हैं। इनको दुहरा कर सदन का समय मैं व्यर्थ में नहीं खराब

[श्री भोला नाथ]

करना चाहता। बल्कि जहां तक टर्न ओवर का सवाल है हाउस ने इस सम्बन्ध में क्लॉज़ को डेफर करके भी निर्णय किया है। इसी तरह शिड्यूल को भी डेफर करके बाद में राय ली गई है। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कह सकता हूँ कि इनके बारे में जो भी राय सदन की आई है वह काफी सोच-विचार के बाद आई है और ऐसी स्थिति में अब इसको पास करने में ढिले नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह इसे जल्दी से जल्दी पास कर दे।

श्री जवानसिंह—यह एक्ट लागू कब होगा ?

श्री भोलानाथ—गजट में प्रकाशित होते ही जिस तरह से इसका प्रोसीजर है वह तरीका घोषित कर दिया जावेगा।

कस्टम की जैसी स्थिति है कि ३१ मार्च, १६५५ के बाद में वह रह नहीं सकता और जब वह जारी नहीं रह सकता तो पहली अप्रेल से टैक्स को वसूल करने का ही एक तरीका रह जाता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स बिल, १९५४, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाने वाला विधेयक
राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—Bill for reference to a Select Committee.

श्री रामकरण जोशी—Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law relating to Municipalities in the State of Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of the names of persons attached herewith. This Committee will present its report before the commencement of the next session.

श्री अध्यक्ष—Names.

श्री रामकरण जोशी—नाम इस प्रकार हैं :

१. संबन्धित मंत्री
२. कार्यवाहक सदस्य, श्री रामकिशोर व्यास ।
३. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
४. श्री बद्रीलाल ।
५. श्री बी. एन. जोशी ।
६. श्री किशनलाल शाह ।
७. श्री छंगा
८. श्री जवानसिंह
९. श्री जयेन्द्रसिंह
१०. श्री कंवरलाल जेलिया
११. श्री श्रीगोपाल भार्गव
१२. श्री वेदपाल त्यागी
१३. कुं० श्री जसवन्तसिंह
१४. श्री गोपीलाल यादव
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री रामलाल बंसीवाल
१७. श्री तेजमल बापना
१८. श्री मंगलसिंह कछवाहा
१९. श्री जगतसिंह झाला
२०. श्री तेजपाल
२१. श्री चन्दनमल वैद
२२. श्री रामलाल उपाध्याय
२३. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२४. श्री केसरीसिंह बूंदी
२५. श्री एडवोकेट जनरल

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । क्या सदन की अनुमति है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

Page No.61

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान मेडिकल (एमेंडमेंट) बिल, १९५४, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, उस दिन जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था उस वक्त भी एक कानूनी प्रश्न के सिलसिले में यहां बात आई थी। अब जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित बिल हमारे सामने आया है उसमें वही शब्द इस्तेमाल किये गये हैं और सिलेक्ट कमेटी ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि आया यह कानूनी तौर पर किया जा सकता है या नहीं। तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में कोई प्रकाश डाला जाय। मतलब यह है कि: "It shall be deemed to have been amended." Commencement का एक क्लॉज़ है वह "deemed to have been amended from that date;" उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला जाय। और फिर राय ली जाय। जो प्रश्न उस दिन उठाया था उस पर न तो सिलेक्ट कमेटी ने राय दी है और न एडवोकेट जनरल ने राय दी है।

श्री अध्यक्ष—I have not been able to follow. What is the legal difficulty with the Hon'ble Member?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The amendment as introduced is that the clause pertaining to the date of that Act having come into force is supposed to be amended now and it shall be deemed always to have been amended. That is the position. The original clause was that the Bill will come into force from the date that Bill is published in the Rajasthan Raj Patra. The amended clause is that it will come into force as notified. That notification will come obviously after the passing of the Amendment Bill which means that the Act which has alreday come in force in the year 1952 and continued to remain into force all these yeas.

श्री अध्यक्ष—Which clause ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—First one, Sir. This was the point raised that day and unfortunately there is no reference or clarification from the Select Committee regarding this point.

श्री अध्यक्ष—क्या उत्तर देते हैं ?

कु ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, अगर मुझे इजाजत हो तो इस विषय में मैं कुछ निवेदन करूं। माननीय मन्त्रीजी इसका जवाब दे सकते हैं, मगर सिलेक्ट कमेटी के सदस्य के नाते मैं भी जवाब देना चाहूंगा।

इस सिलेक्ट कमेटी का मैं मेम्बर शायद था या नहीं, लेकिन मैं कमेटी की मीटिंग में शामिल था, लेकिन सदस्यों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है. मैं यह नहीं कह सकता कि क्यों मेरा नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मेम्बरों में सिलेक्ट कमेटी में नाम नहीं था।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—लेकिन उस सिलेक्ट कमेटी में मैं बुलाया जरूर गया था। उस सिलेक्ट कमेटी मे मैंने हिस्सा लिया था। जो मेरे मित्र जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज किया था तो मैं ऐसा खयाल करता हूं कि उनका ऐतराज है कि यह सब क्लॉज़ (३) अगर इसमें रहता तो उनका ऐतराज ठीक था। पहले यह सदन में बिल आया था उस वक्त यह क्लॉज़ था। सब क्लॉज़ेज़ (२) और (३) उसके अन्दर थे यह ऐतराज लागू होता था। दोनों का कन्ट्राडिक्शन हो गया था। अगर माननीय मित्र इस बात पर गौर करें तो उन्हें यह साफ हो जायगा कि यह क्लॉज़ जिसमें यह कन्ट्राडिक्शन था खण्ड २९–३० और ३१ जिसका यह ज़िक्र करता है कि जो पहले हो चुका है वह दुबारा तारीख किस तरह से लागू होगी।

मैं यह निवेदन करूं कि सिलेक्ट कमेटी में यह क्लॉज़ हटा दिया गया है। यह क्लॉज़ है नहीं। यह सिलेक्ट कमेटी के सामने आया था और इसी दुविधा को अपने सामने रखते हुए सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लॉज़ को इस एमेंडमेंट से निकाल दिया है. और अब जो एमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी ने कर दिया है। जो दुविधा थी वह यह थी कि प्रेक्टीशिनर्स हैं उनको किस तरह से रजिस्टर किया जाय और मेडीकल कौन्सिल किस तरह स्थापित की जाय। यह दोनों बातें हैं। इसलिये फोर दी फर्स्ट इयर नोमिनेशन के लिये तजबीज की गई है और बाकी की जितनी क्लॉज़ेज़ थीं उनको डिलीट कर दिया गया है। इस खुलासे के बाद मैं ऐसा ख्याल करता हूँ कि माननीय मित्र को आपत्ति नहीं होगी। जो कर दिया गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि उससे कोई आपत्ति हो सके। इसके बाद कोई कॉंट्राडिक्शन नहीं है, वह आपत्ति हटा दी गई है। जो अमेंडमेंट मन्जूर किया है उसकी वजह से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—I think it is clear.

श्री कुम्भाराम आर्य—महोदय, इसके ऊपर थोड़ा शक एक सदस्य को इसलिए हो गया था कि उन्होंने आगे पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी सर्कुलेट हुई थी उसमें नहीं था।

श्री कुम्भाराम आर्य—खैर, अब उनका संशय नहीं रहा। मैं समझता हूं कि इसको पास करने की सम्मति प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान मेडीकल बिल, १९५४ को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

बिल को पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफि-केशन) बिल।

श्री भोगीलाल पंड्या—I beg to move that a Bill to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1953, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसका स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स यह कहता है कि "Parliament has declared certain additional offices of profit not to disqualify their holders for being chosen or for being members of Parliament or the Legislative Assemblies of Part 'C' States." पार्ट (सी) स्टेट्स के लिये पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाये हैं कि अमुक २ व्यक्ति हालांकि वह माली तौर से फायदा जरूर उठाते हैं, राज्य से, लेकिन फिर भी उनको डिस्क्वालि-फाई नहीं किया जायगा। राजस्थान में भी इसी प्रकार का कानून बनाना ठीक और उचित समझा इसलिये यह कानून पेश है। अब जिन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव की जा रही है, उनमें मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर; यह तो ठीक हैं और इस प्रकार के ए. बी. सी. डी. ई. और एफ. छः प्रकार के लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने के लिये कहा गया है। मुझे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
रिवर्स तरीके से शुरू करना पड़ेगा। सब से पहले 'एफ' से शुरू करना पड़ेगा। इसलिये कि:—

"The offices of a Chairman, Director, Member or officer of a Statutory body, where the power to make any appointment to any such office or the power to remove any person therefrom is vested in the Government."

यह जो क्लॉज़ है, पार्ट 'एफ' जो है यह सबसे ओब्जेक्शनेबल पार्ट कहें तो भी कोई ऐतराज काबिल बात नहीं। गंगानगर सुगर फेक्ट्री, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लीज़ पर ले रखी है, इसलिये उसका मेनेजर किसी को मुकर्रर करना है। यह सरकार के अधिकार की बात है लेकिन :
"the power of appointing a Director, Member or officer, etc. etc"

उसका सरकार ने एक बोर्ड बनाया कंट्रोल के बेसिस पर। गंगानगर सुगर फेक्ट्री जब तक सरकार के पास लीज़ पर रहेगी तब तक एक कंट्रोलिंग बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड रहेगा उसके पदाधिकारी या चेअरमेन सरकार मुकर्रर कर पायगी। आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में स्टेचुटरी बोडीज़ हैं जो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी हैं, उनमें कुछ माननीय मित्रों को सरकार को नोमिनेट करने का अधिकार है, उनके चेअरमेन के पद पर किसी को नोमिनेट करने का अधिकार है। अब इस बिल के द्वारा यह राय प्रस्तुत की जा रही है कि इनमें जिनको नोमिनेट किया जायगा वे डिसक्वालिफाई नहीं समझे जायेंगे। यह उसूलन गलत बात है। जो रेस्ट्रिक्शन ऑफिस ऑफ प्रोफिट पर इलेक्शन कानून में लगाया था उसके अनुसार ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करने वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी नीयत क्या थी ? उसकी मंशा यह थी कि जो भी इसका सदस्य हो वह अपने स्थान का नाजायज तौर से इस्तेमाल नहीं कर पावे, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। इसलिये यह ऐसी चीज़ है कि जिसका संबन्ध राज्य की सरकार से माली तौर पर फायदा करने का है। ऐसे लोगों को यदि मत देने का मौका दिया जायगा तो उसमें गड़बड़ होने की शंका है। आज मोटर व्हिकल एक्ट जो लागू है उसके अंतर्गत रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और इतना अधिकार है कि मामूली नोटिफिकेशन के जरिये ही उसमें रद्दोबदल कर सकती है। आज परमिट और परमिट के लेनदेन में न सिर्फ उन नियुक्त किये गये मेम्बरों को आनेजाने का भत्ता मिलता है न सिर्फ ओनरेरियम मिलता है बल्कि साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि अपने अपने लोगों को फेवर करने का एक तरह से मौका मिलता है। तो जब दोनों में से सरकार एक चीज़ चुनने का कानून बनाने का एक अधिकार इस्तेमाल कर सकती है तो फिर इस प्रकार के मुनाफा की जगहों छोड़ दे और यदि इस प्रकार के मुनाफे की जगह को छोड़ने की इच्छा नहीं है तो हम ऐसे लोगों को एलिजिबल बनाकर इलेक्शन के लिये उनको खड़ा करना, एक दांव खेलना है। इसके आधार पर नेशनल केडेट कोर के ऑफिसर्स निकल जायेंगे, असेम्बली कमेटीज़ के अलावा और भी कई कमेटियों के चेअरमेन निकल गये और भी कई निकल गये, नतीजा यह होगा कि ऐसे की पोजिशन्स जिनमें न सिर्फ माली फायदा होता है बल्कि फेवर करने का भी मामला रहता है, जिसके हजारों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लाखों उदाहरण हैं । उन मेम्बरों की आप डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करना चाहते हैं, यह न्याय-संगत बात नहीं है ।

इसलिये मैं तो यही चाहूंगा कि इस बिल की जो मंशा है उसको ईमानदारी से माना जाय और वह मंशा यह है कि विधान सभा के ताल्लुक में मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर्स का जो स्टेटस है यह समझने की बात है कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने में हाथ है, विधान सभा का सदस्य होना लाजिमी है, जो छः महिने के पहले पहले विधान सभा का सदस्य चुना जाना चाहिये । पार्लियामेंटरी सेक्रेट्रीज़ भी इसी तरह से सम्बन्धित हैं । बाकी सदस्य जो हैं उनका कोई सम्बन्ध न एस. टी. ए. की मेम्बरशिप से, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपेलिटी की चेअरमेनशिप से या मेम्बरशिप से ही होना चाहिये । इसे ऑफिस ओफ प्रोफिट मानना चाहिये; इससे करप्शन कम होगा, नहीं तो इधर का इन्फ्ल्युएन्स उधर और उधर का इन्फ्ल्युएन्स इधर होगा ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को सूचना भी दिला दूं कि ऐसे ऐसे भी केस हुए हैं कि विधान सभा के मेम्बर विशेष एस० टी० ए० में गये हैं, किसी पर्टिक्युलर केस को प्लीड करने के लिये और सरकार से ऐसे सक्युलर्स जारी कराये हैं, जिनका ताल्लुक पर्टिक्युलर केस से है और रूल्स में अमेंटमेंट हुए हैं just because one particular man had to be given benefit under that. ऐसे डेफिनेट रीजन्स यहां रहे हैं, उनको देखते हुए और यह रेकर्ड देते हुए मैं यह कहूंगा कि इस बिल में सिर्फ पार्ट ए० और बी० को नहीं लेना चाहिये ।

पार्ट सी स्टेट्स में क्या हुआ है यह देखना हमारे अधिकार की बात है । इसे स्वेच्छा से एक्सटेन्ड नहीं करना चाहिये ।

इन सब बातों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, जो देखे कि आया एक्स्क्लूड करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा । १५-२० दिन में कुछ हो नहीं जायगा । इससे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाना चाहिये । मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इस चीज़ को देखते हुए मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ऐसा कहते हुए मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मेरे समर्थन का आधार यह है कि पहले जब ऐसा ही बिल विचारार्थ व पारित करने के लिये सदन के सामने रखा था तो इसमें मैंने अमेंडमेंट रखा था कि चेअरमेन एन्ड मेम्बर ऑफ म्युनिसिपेलिटी, सरपंच एन्ड पंच ऑफ पंचायत, चेयरमेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनको विधान सभा के चुनाव के लिये ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करने वाला नहीं माना जाना चाहिये । उस वक्त सदन की राय थी कि उन्हें ओफिस ओफ प्रोफिट होल्ड करने वाला नहीं मानना चाहिये । पर मन्त्रीजी ने कहा था कि उनको "office of profit" नहीं माना जाता । ऐसी

[श्री तनसिंह]

सूची नामांकित की जावेगी तो वह बहुत बड़ी लिस्ट हो जायगी, इसलिये ऐसे पदों के लिए यहां स्पष्ट किया जाय कि वे office of profit नहीं रखते। उस वक्त इस पर विवाद हुआ था, पर इस विषय में निश्चित मत नहीं दिया जा सकता था। लेकिन बाद में, माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बीकानेर के ट्रिब्यूनल ने, जिसने हमारी असेम्बली की चुनाव याचिकाओं पर फैसले दिए हैं उसने अपने एक फैसले में जोधपुर की म्युनिसिपैलिटी की चेयरमेनशिप को ओफिस ओफ प्रोफिट होल्ड करने वाला कहा है। वे २००) रुपया माहवार कार एलाउन्स लेते थे, एलाउन्स नहीं लेते तो भी ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करता था ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि उनकी स्थिति एसी थीकि ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करता था। उपरोक्त फैसला देते हुए यह भी लिखा है कि वे स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करते हैं। म्युनिसिपैलिटी का कानून है उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह म्युनिसिपैलिटी के चेअरमेन और मेम्बर को रिमूव कर सकतो है, स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें रिमूव करने का अधिकार है।

ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल का फैसला है वह माननीय मन्त्री महोदय या दूसरे सदस्यों की राय से ज्यादा वजनदार होगा क्योंकि वह नजीर बन जाती है। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। जहां तक मैंने पहले की प्रोसीडिंग्स को देखा है सब मेम्बरों की राय में, म्युनिसिपैलिटी का चेअरमेन, मेम्बर, ग्राम पंचायत का सरपंच और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चैअरमैन इनको ओफिस ओफ प्रोफिट होल्ड करना मानने में अड़चन हो सकती है पर अब तो किसी प्रकार की अड़चन नहीं रह जाती जब कि ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है। अब किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इन्हें ओफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करना माना है। इनको पार्लियामेंट या विधान सभा के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि चूंकि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है अत: इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। इतना ही कह कर मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, श्री एच० के० व्यास ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर यह बिल इसी तरह पास हो जायगा तो आज जो एम०एल०एज० हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उनमें लड़े होंगे और चेअरमेन बनेंगे, मेम्बर बनेंगे, सरपंच बनेंगे और पंच बनेंगे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनमें जाकर जिस तरह से अभी फायदा उठाते हैं, अगर स्पीकर साहब चाहें तो बता सकता हूं कि आर० टी० ओ० की मीटिंगों में ये लोग किस तरह का फायदा उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बिल क्या है, इसको समझ लीजिये, फिर बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—बिल आप हिन्दी में तो रखते हो नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष—यह शिकायत आप सरकार से कीजिये, यह तो सरकार भेजती है, मैं थोड़े ही भेजता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—सरकार को आप लिखेंगे तो सही कि जो बिल भेजे वह हिन्दी में भेजे, अंग्रेजी में न भेजें।

एक सदस्य—सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद क्या हिन्दी हो जायगी ?

श्री भैरोंसिंह (१६)—पास करने वालों की हिन्दी अवश्य हो जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हिन्दी तो पहले होगी, फिर सिलेक्ट कमेटी में जायगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, संसद ने एक्ट द्वारा कुछ और मुनाफे के पदों को संसद की सदस्यता के अयोग्य न माने जाने की व्यवस्था की है और उसी को ध्यान में रखते हुए उचित समझा गया है कि अपने यहां पर भी व्यवस्था की जावे और जो कुछ पद हैं उनके लिए विधान सभा में भी व्यवस्था की जावे। यह संसद में इस तरह का कानून बन चुका है और अपने यहां भी आवश्यक है जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ आदमी ट्रान्सपोर्ट कमेटियों में जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं।

यह तो गवर्नमेंट की मंशा है कि ऐसी कमेटियों में योग्य, तटस्थ, अनुभवी और ईमानदार व्यक्तियों को रखा जावे। ऐसे व्यक्ति मिल जांय तो उनको भी अयोग्य नहीं मानना चाहिये। इसमें उनको आपत्ति तो नहीं होनी चाहिये, पर ऐसा क्यों बताया ?

दूसरा यह बताया गया कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल चेयरमेन के जो स्थान हों उन पर ऐसे व्यक्तियों को ले लेना चाहिये जो योग्य और ईमानदार हों। इस सम्बन्ध में जो संसद में रखा गया है उसके अनुसार राजस्थान में भी रखने का विचार किया गया है और फिर अगर किसी समय पर रद्दोबदल करने की आवश्यकता होगी तो जरूर की जावेगी। इसलिए, मेरे ख्याल से, इसको सिलेक्ट कमेटी में देने की जरूरत नहीं मालूम होती।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I want to have an elucidation. माननीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय ने अयोग्य नहीं माने जावें, इस पर जोर दिया है। यहां पर अयोग्य मानने का प्रश्न नहीं है। यह तो उन पर ही डिपेन्ड करता है। ईश्वर ने उनको अक्ल नहीं दी होगी तो अयोग्य होंगे। इससे आपका मतलब इनएबिलीटी से है जिससे वे पार्लियामेंट या एसेम्बली में चुनाव के लिये हैसियत नहीं रखते हों। अगर आपका यह मतलब हो तो ठीक है......

Page No.68

श्री वेदपाल त्यागी—अयोग्य और योग्य में··· (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—'अर्ह', 'अनर्ह' से इनका मतलब है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—यह तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे; जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने प्रस्ताव रखा है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

Now the question is that The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Bill, 1954, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, एक छोटा सा एमेन्डमेंट है, इसे ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—एमेन्डमेंट नहीं······

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे पर्टिकुलर क्लॉज़ पर बोलना पड़ेगा। एमेन्डमेंट थोड़ा ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बिना एमेन्डमेंट के बोलने की इजाज़त देता हूँ। Without amendment the Hon' ble Member can speak, I allow him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर यह छोटा सा एमेन्डमेंट होता तो ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष—No amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम एक को तो हटा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—The last appeal may be granted.

श्री भोगीलाल पंड्या—इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इसको पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—And the followiug Bill is very......

श्री चन्दनमल बैद—Controversial.

श्री अध्यक्ष—Not controversial.

श्री भोगीलाल पंड्या—I beg to move, "That the Bill to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1952 (Act No. XV of 1952), be taken into consideration."

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री जवानसिंह—Mr. Speaker, I beg to move an amendment that this Bill be referred to a Select Committee the names of which may be announced later on.

मैं इस बिल के महत्व के खास कारण को उचित मान कर इस पर जोर देना चाहता हूँ और वह यह कि अभी पहले हमने एक बिल पास किया था सदन के सदस्यों को दैनिक भत्ता और आने जाने के रेल खर्चे के सिलसिले में। अब हम उस पर यह संशोधन पास करने जा रहे हैं और फिर भी वह मंशा पूरी नहीं होगी। जो इस वक्त जरूरत के माफिक पास होना चाहिये, जो अब तक कुछ कमियों के रूप में विद्यमान है। मैं कुछ समय पहले हुई कॉन्फ्रेन्स, जिसमें डिप्टी स्पीकर आदि के बारे में विचार हुआ था उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर का स्थान मिनिस्टर से नीचे और डिप्टी मिनिस्टर से ऊपर हुआ करता है। ऐसा मेरा अनुमान है कि उस कांफ्रेन्स में तय हुआ था और उनका स्टेटस कुछ ऊंचा ही तय हुआ था। अगर हम उस चीज़ को सदन में रखते तो मालूम होता कि

[श्री नवानसिंह]

वह चीज यहां पर ठीक नहीं पड़ती और कोई कमी रह जाती। शायद सरकार ने इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और वह कमी रह गई है और भविष्य में इस कमी को पूरा करने के लिये तीसरा एमेन्डमेन्ट सदन में लाना पड़े। इसलिये अच्छा यह होगा कि आपस में बैठ कर और डिप्टी स्पीकर की पोजिशन को कहां पर रखना है,उसको कितना महत्व देना है,जो हैसियत है वह वाजिब है या इससे ऊंची होनी चाहिये या नहीं, इसको तय करलें। इसके अलावा टी. ए. का जो प्रश्न है वह कानून के अनुसार करने की हर एक की इच्छा है। इस सिलसिले में मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि जो कुछ प्रोविजन रखा गया है वह कम है या ज्यादा, लेकिन इस बात पर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी प्रोविजन किया जावे वह जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिये। जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, और जिससे वे जनहित के कार्य को कर सकें। इस प्रकार की चीज़ हमें अवश्य कुबूल करनी चाहिये। मैं कुछ और भी इशारा करूंगा। हमारी सेन्ट्रल लोक सभा के सदस्य पूरे हिन्दुस्तान में रेल के जरिये जा सकते हैं और पब्लिक के काम के लिये वे ऐसा कर सकते हैं, न कि व्यापार-धन्धा करने के सिलसिले में या निजी काम करने के लिये जा सकते हैं। उनको पब्लिक के हित के काम करने के लिये इधर-उधर जाने की पूरी सुविधा है और उनसे इस सम्बन्ध में जाने के लिये कोई किराया वसूल नहीं किया जाता। उनको एक कार्ड दिया हुआ है। वे अपने साथ में उस कार्ड को रखते हैं और हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में जाना चाहें तो जा सकते हैं और आवश्यक कार्य होता है उसको पूरा करते हैं। इससे उनको सहूलियत मिलती है और वह इसलिये कि वे लोकहित का काम ठीक तरह से कर सकें और जनता का फायदा कर सकें। यह तरीका ठीक है बनिस्बत इसके कि उनको किराया खर्चा दिया जावे। तो मैं यह कहूँगा कि यह उनके लिये सुविधा देना नहीं, यह सुविधा माननीय सदस्यों के लिये नहीं है बल्कि यह सुविधा पब्लिक हित में है। उस दृष्टिकोण से राजस्थान में भी सदन के सदस्यों के लिये उसी प्रकार का नियम बनावें कि राजस्थान एरिया में पब्लिक के हित के कार्य के लिये उनको टिकट खरीदना नहीं होगा उनका एक पास इश्यू कर दिया जावे ताकि वे पब्लिक के हित के काम करने के लिये आ जा सकें, तो यह तो बहुत अच्छा होगा। इसका प्रोविजन हो सकता है। मगर सरकार की तरफ से यह एकाएक इसके उत्तर में बताई जा सकता है कि हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस सम्बन्ध में बात--चीत करेंगे, अभी तक बात-चीत नहीं हुई है। लेकिन हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से बात चीत करने के बाद भी इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं।

इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं इस बिल में, जो पूरी नहीं हो पाई हैं।

मैं केवल उदाहरण के तौर पर ही एक आध चीज़ की तरफ इशारा करूंगा, और वह है हमारी जैसी इस डेमोक्रेसी की जननी विलायती पार्लियामेंट में भी। लीडर ऑफ ऑपोज़िशन को, जैसा कि उसका एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है, समाज में अपना एक स्टेटस मेंन्टेन करने के लिए, दूसरी पार्टीज से मुलाकात करनी पड़ती है, चूंकि उसका एक राजनैतिक हेतु होता है इसलिए

[श्री जवानसिंह]

उसको ऐसा करना पड़ता है; न कि उसके निजी काम के लिए या किसी व्यक्ति के स्वार्थ के लिए बल्कि उसको राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले काम करने पड़ते हैं और उस चीज़ को हमारे हिन्दुस्तान में भी कुछ रियासतों ने अपनाया है। मैं उदाहरण के तौर पर इशारा करूंगा यू. पी. की तरफ जहां कि ऐसे प्रपोज़ल्स बने हैं और जिन्हें कानूनी रूप जल्दी ही दिया जायगा। मैं यह नहीं कहता कि आप उस चीज़ के पूरे-के-पूरे औचित्य को मान लेंगे। मैं तो सदन में यह एक मौका देना चाहता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में सौंपने के पश्चात् तमाम बातों को ठीक तरह से सोच सकें और किसी खास नतीजे पर पहुच सकें और मेरा ख्याल है कि हम उन तमाम बातों की खामियों को देखेंगे और उन कमियों को पूरा करने का जिनका खयाल हो तो बहतर होगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि उन चीजों को ठीक तरह से रखा जा सके और जरूरत माफिक उन चीजों का इस बिल में समावेश हो सके। इसको फिर पास किया जाय तो उचित होगा। इसलिए मैं सदन की अनुमति के लिए अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, इस पर बोलने की तो आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती थी परन्तु क्योंकि इन्डाइरेक्टली इससे कुछ सम्बन्ध, माननीय मित्र ने, जो मेरे से अभी पूर्व बोले थे, मुझसे कर लिया है इसलिए मुझे कुछ खुलासा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जो दो बातें इस बिल में रखी गई हैं उन पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। एक तो है माननीय अध्यक्ष के, और दूसरी माननीय उपाध्यक्ष के प्रति, जो निर्विवाद है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी माननीय मित्र ने बतायीं जिन पर कि गौर करना और विचार करना आवश्यक है और यदि उन पर विचार कर लिया जाय तो दोनों बातें हल हो सकती हैं।

अभी मेम्बरों के मुतल्लिक ट्रेवलिंग अलाउंस का सवाल आया। उसके सम्बन्ध में कितनी इररेगुलरीटीज़ हुई हैं उस सम्बन्ध में यह जो बिल पेश किया गया है कहीं उसका इसमें जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूं कि हमारे मेम्बर्स को ट्रेवलिंग अलाउन्स और डेली अलाउन्स के रूप में जो कुछ मिलता है वह इस सदन के द्वारा ही पास किया गया है और वह उस समय में जब कि विधान सभा स्थापित हुई थी। मगर ऐसा हुआ करीब पिछले साल से या डेढ़ साल से कि जब फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट ट्रेन से हटा दिये गये यहां एक कानून बना था, और सबसे बड़ी सोवेरिन-बोडी यह विधान सभा है जबकि विधान सभा द्वारा कानून पास कर दिया गया था, तो उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, परन्तु देखने में ऐसा आया है कि करीब एक साल से ऊपर जबसे कि फर्स्ट क्लास हटा दी गई है रेलवे से तब से माननीय सदस्यों के ट्रेवलिंग अलाउन्स जिसमें कि एक फर्स्ट क्लास और आधा फर्स्ट क्लास का किराया उनको मिला करता था, उसके बजाय सेकिंड क्लास कर दिया गया है। इसको तो मैं अनुचित समझता हूँ कि फर्स्ट क्लास का किराया देकर सेकिन्ड क्लास में सफर की जाय। जहां तक देखने में आया है और जैसा कि मामूली तौर पर रिवाज रहा है बहुत से सदस्य, मैं राजस्थान विधान सभा की बात नहीं करता,

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

केन्द्रीय सरकार के, पार्लियामेंट के जो मेम्बर्स हैं या कौंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेम्बर्स हैं वे फर्स्ट क्लास का भत्ता लेते हैं और थर्ड क्लास में चलते हैं। कोई सिद्धान्तों के लिए ऐसा करते हों या कोई रुपया कमाने के लिए ऐसा करते हों, यह मैं नहीं कहता, कोई अपनी मर्जी से ऐसा करते हों किन्तु वे फर्स्ट क्लास का टिकिट चार्ज करके थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं। अगर सरकारी ऑफिसर फर्स्ट क्लास का चार्ज कर के थर्ड क्लास में यदि ट्रेवल करता है तो उसके लिए आपत्ति उठाई जा सकती है और उसको सजा भी मिल सकती है। लेकिन विधान सभा के मेम्बर्स को लिबर्टी है, स्वतन्त्रता है, उनको स्वतन्त्रता देना चाहते हैं और वे लेना चाहते हैं इसलिए आपत्ति नहीं उठाई जाती है कि वे फर्स्ट क्लास का ट्रेवलिंग अलाउन्स लेते जावें और थर्ड क्लास में ट्रेवल करें। जब अपने यहां यह मामला आया था, आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये, तो मैंने आपत्ति उठाई थी कि ऐसा करेंगे तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट क्या करेगा कि फर्स्ट क्लास का चार्ज करें और थर्ड क्लास में ट्रेवल करें तो, उस पर चीफ मिनिस्टर, जो उस समय माननीय पालीवाल जी थे, ने जवाब दिया कि फर्स्ट क्लास चार्ज करेंगे तो फर्स्ट क्लास में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। यह बात आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए। चूंकि हम प्रजा के प्रतिनिधि हैं और माननीय चीफ मिनिस्टर का कहना कोई माने नहीं है, चूंकि हमें पूरी स्वतन्त्रता है, जैसा चाहें सफर करें, फर्स्ट क्लास का चार्ज करके थर्ड क्लास में ट्रेवल करें तो जैसे दूसरों को यह अधिकार नहीं है उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी करें तो मैं यह जानना चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि जब यह तय किया गया था विधान सभा से कि फर्स्ट क्लास टिकिट दे दिया जाय और आधा फर्स्ट क्लास का किराया खर्च के लिए दे दिया जाय तो फिर फर्स्ट क्लास का किराया क्यों नहीं दिया गया ? क्या इसलिए कि फर्स्ट क्लास हटा दिया गया था इसलिए नहीं दिया गया था ? अगर यह पाबन्दी विधान सभा द्वारा की गई थी तो फिर फर्स्ट क्लास का टिकिट और आधा फर्स्ट क्लास का किराया बिना विधान सभा के सामने लाये वह क्यों हटा दिया गया ? अतः मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास का टिकिट और आधा किराया सदस्यों को क्यों नहीं दिया गया ?

दूसरी आपत्ति जो है वह यह है कि ट्रेवलिंग अलाउन्स फर्स्ट क्लास का आधा देने का अधिकार था उसको किस कानून के आधार पर आधा न देकर दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। यह का॰ ॰ जो आज पेश किया जा रहा है वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा या जब से यह पास होगा तब से ? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जिन-जिन माननीय सदस्यों के भत्ते और फर्स्ट क्लास के चार्जेज काट लिये गये थे और वे किस रूप में काट लिये गये और यदि इस पर सिलेक्ट कमेटी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है तो एक बड़ा भारी गलती रह जायगी जो ठीक नहीं होगी। तो मेरी यह एक जनरल आपत्ति है।

तीसरा सवाल है जो माननीय जवानसिंह जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए दो सुझाव रखे हैं। दूसरी जगह कोई परम्परा रही हो। माननीय सदस्यों का जिन्होंने कि मुझे संयुक्त

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

दल की ओर से इस पद पर चुना है, मैं आभारी हूँ। चूंकि इसमें कहीं गलतफहमी न हो कि मेरे इशारे से ऐसा सुझाव किया गया है इसलिए मैं उसको साफ कर देना चाहता हूँ। मेरे मित्रों का जब तक मेरे में विश्वास है और विश्वास होने के कारण ही उन्होंने मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना है, और जब तक मैं इस पद पर रहूँगा। मैं यह कहूँगा कि मुझे जो अलाउन्स या तनख्वाह मंजूर होगी वह मैं अपने खुद के काम में नहीं लाऊंगा और मैं उसको पार्टी को दे दूंगा, वे चाहे जिस काम में उसको खर्च करें।

मैं समझता हूं कि मेरी स्थिति बिल्कुल क्लियर है और ऐसा होना वाजिब भी है। इसलिए लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को जो सेलेरी दी जाती है और यदि मुझे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ही कायम रखा जाता है तो जो एडीशनल सेलेरी दो सौ रुपया से ऊपर आयगी वह संयुक्त दल को होगी और उन माननीय सदस्यों की जिन्होंने मुझे चुना है इस पद पर।

लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिए इस ओर खास तौर पर जोर दिया गया है। फर्स्ट क्लास का किराया लेना और थर्ड क्लास में चलें, हमारे लिए सोचने की बात है; किन्तु सरकार को क्या अधिकार है कि वह काटे। इसलिऐ मैं निवेदन करूंगा कि जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिये। जहां तक माननीय अध्यक्ष का सवाल है या दूसरे सवाल हैं यह निर्विवाद बात है कि माननीय अध्यक्ष का स्थान मिनिस्टर के बराबर ही नहीं होना चाहिये, बल्कि उससे भी ऊपर रहना चाहिये। डिप्टी स्पीकर आदि के लिये जो कुछ बातें हैं उन पर भी हमें गौर करना चाहिये। या तो माननीय मंत्री जो बिल को पाइलोट कर रहे हैं इसको स्वीकार करें, नहीं तो मुतहिल्का मिनिस्टर के आने तक इसको पोस्टपोन रखें ताकि वे उनसे सलाह-मशविरा कर सकें। जब कि इस बिल को मेरे मित्र पंड्या जी द्वारा सदन में रखा गया है उनको इस बात के समझने में कठिनाई हो सकती है और यह भी हो सकता है कि वे इस स्थिति में न हों कि वे इस विषय में क्या उत्तर दें, तो मेरा यही निवेदन है कि जितनी बातों का मैंने जिक्र किया है या तो उनको स्वीकार कर लिया जाय या इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को मन्जूर किया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यद्यपि यह छोटा सा बिल है और इसमें कोई सिद्धान्त की ऐसी बात नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये रिकमन्ड किया जावे। फिर भी एक प्रश्न जो कि विरोधी दल के नेता ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है वास्तव में ऐसा प्रश्न है कि उस पर बहुत सोच-विचार कर हमको यह निर्धारित करना चाहिये कि हम अपने मेम्बर को क्या भत्ता, किस रूप में दें। यह बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं और फर्स्ट क्लास का किराया वसूल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी मानने को तैयार नहीं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी इस प्रकार का कार्य करते हैं...

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने सब के लिये नहीं कहा और न मैं यह कह सकता हूँ कि सब ही थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं और फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं। कम से कम मैं अपने लिये तो कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया।

श्री वेदपाल त्यागी—यह आपके खिलाफ तो बात नहीं थी। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न अवश्य है कि आयन्दा हम अपने माननीय सदस्यों को किस प्रकार से भत्ता दें ताकि इस प्रकार का लांछन जो हमारे माननीय सदस्यों पर लगाया जाता है न लग सके।

अभी अभी संसद् में भी इसी प्रकार की शिकायत पेश हुई थी, इसलिये संसद् ने इसका एक नया तरीका निकाला है। उस तरीके से, जैसा कि संसद् ने निकाला है उससे न केवल संसद् के सदस्य इस प्रकार के आचरण से ही बच सकेंगे बल्कि सदन में जो इस प्रकार की आलोचना होती है उससे भी बच जायेंगे। उस तरीके से यह भी मौका उन सदस्यों को मिल सकेगा कि वे जिस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उस देश के कौने कौने में वे उससे जा सकेगें, एक दूसरे से मिल सकेंगे। इसी तरह का एमेंडमेंट यदि हमारे इस बिल में दिया जाता जैसा कि सदस्यों को राज्य में घूमने के लिये, सेकन्ड क्लास का पास न सही इन्टर क्लास का ही पास रख देते हैं तो हम उचित समझेंगे। तब ये शिकायतें न रहेंगी जैसी कि आज आ रही हैं। दूसरी सहूलियत यह हो जायगी कि कोटा का रहने वाला सदस्य बीकानेर जा सकेगा और वहां की जनता से अपना सम्पर्क बढ़ा सकेगा। आज हमारी स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हो चुका है, परन्तु हम उस दायरे से अभी बाहर नहीं निकले हैं। कोटा वाले कोटा के ही लिये सोचते हैं, बीकानेर वाले बीकानेर के लिये व जोधपुर वाले जोधपुर के लिये ही सोचते हैं। अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह स्वीकार करने लायक है। इससे यह होगा कि लोगों को फ्रीक्वेन्टली मिलने का मोका मिलेगा और हमारे यहां जो इस बारे में आलोचना होती है उससे भी माननीय सदस्य बच जायेंगे। इसलिये इस बिल पर फिर से विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी में इसको रेफर कर दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। इसलिये माननीय श्री जवानसिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, यह जो जवानसिंह जी ने संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन उसके बारे में जिस प्रकार कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को सेकिन्ड क्लास का किराया और जब हाउस चलता है उन दिनों का जो भत्ता दिया जाता है फिर भी वहां पर जो लोग रहते हैं उनको बाहर से आने का किराया भारत सरकार नहीं देती है। लेकिन यहां पर कुछ एम. एल. एज़. जो यहां पर ही रहते हैं करीब बारह महीने में ९ महीने यहां रहते हैं उसके बाद भी आने जाने का किराया वसूल करते हैं यह सदन के सदस्यों के लिये शोभा की बात नहीं है......

एक माननीय सदस्य—नाम भी बता दीजिये, ऐसा कौन सा सदस्य है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप नाम पूछते हैं तो नाम भी बता दूंगा, मुझसे कोई छिपाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं। जैसा कि अभी कहा गया है कि मेम्बर्स के लिए इन्टर क्लास का पास या कोई ऐसा इन्तजाम कर दिया जाय, इसमें मुझे संशय है कि इस प्रकार का समावेश इस बिल के स्कोप में आ सकता है या नहीं ? मुझे यह संशय हुआ जब कि माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हम ऐसा इस बिल में कर दें ताकि मेम्बर लोग राजस्थान में घूम सकें। मेरे ख्याल में यह इस बिल के स्कोप में नहीं आता।

श्री वेदपाल त्यागी—वह तो आता है, आगे इस बिल में जब कि यह रखने जा रहे हैं कि क्या भत्ता मेम्बर्स को दिया जाय। इस क्लॉज़ में यह आयगा कि किस तरह से पासेज़ इश्यू कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—The scope is only to amend particular section in a particular way and we cannot go beyond that.

श्री वेदपाल त्यागी—It is only in this section that can be incorporated, not otherwise.

श्री मुक्तिलाल मोदी—(अपना भाषण जारी रखते हुये) माननीय अध्यक्षजी, यह जो सारे राजस्थान में घूमने का प्रश्न है उसके लिये कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मन्त्री ने यह बताया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात होने पर ही यह तय हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न हाउस के मेम्बरों के लिये तय हो जाता है तो इस तरह की भावना पैदा हो जायगी कि हम सेकन्ड क्लास का किराया लें और फर्स्ट क्लास का आधा लें। तो इन सारी आपत्तियों का एक ही इलाज है कि सबको इन्टर क्लास का पास दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कौन दें ? हाउस दे क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—(अपना भाषण जारी रखते हुये) सिलेक्ट कमेटी में यह बात तय हो जाय, वह दे सकती है।

श्री अध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी नहीं दे सकती। सिलेक्ट कमेटी तय भी नहीं कर सकती।

श्री मुक्तिलाल मोदी—सिलेक्ट कमेटी को कोशिश करनी चाहिये कि इस तरह का पास मिल जाय। इससे यह होगा कि जो हाउस में एतराज उठाया जाता है वह नहीं उठने पायगा। इसलिये मेरा यह कहना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री जवानसिंह—The decision might prove prejudicial.

(Shri H. K. Vyas catches the eyes of the Hon'ble Speaker)

श्री अध्यक्ष—(श्री एच. के. व्यास के खड़े होने के उपक्रम पर) Strictly within the scope.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am going to start from that itself......

श्री वेदपाल त्यागी—And then will go out !

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में पेश किये जाने की जो राय दी गई है उसका समर्थन करता हूं इसलिये कि इस बिल की प्रस्तावना है :

"To amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers' and Members Emoluments) Act. 1954."

इस बिल के जो प्रस्तावक महोदय हैं उनको मालूम होगा कि इस बिल में संशोधन की आवश्यकता है। हम इस बिल के कन्सीडरेशन स्टेज पर पहुँच जाय, इसके बाद तो यह साफ है कि जिन-जिन क्लॉज़ेज़ का यहां उल्लेख है उनका ही जिक्र करने का सवाल उठता है। लेकिन, अब जब इस बिल के उसूल के बारे में जिक्र हो रहा है; आया ऐसा बिल या इस बिल में संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात की आवश्यकता पर विचार करने के लिए ओरिजिनल एक्ट को, सारे के सारे एक्ट के विचार का भी इसमें समावेश किया जाय, तो कोई एतराज की बात नहीं होगी। और मैं इसे सिलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत करने के पक्ष में राय देता हूँ और वह इस बिना पर कि जो धाराएं संशोधित रूप में यहां पेश की गई हैं क्या केवल उन्हीं धाराओं के बारे में संशोधन करने की आवश्यकता है ? क्या केवल उन्हीं के बारे में सदन को विचार करने की आवश्यकता है ? मेरा ख्याल है कि यह जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्टस) एक्ट शायद १९५२ का है और उस पर पुनर्विचार करने की स्टेज आ गई है और मुमकिन है कि अगर इस पर गम्भीरता से गौर करें तो ऐसी भी राय पर हम पहुंचें कि कुछ मामलों में जो इमोल्युमेन्ट्स दे रहे हैं उनको कम करने के पक्ष में भी अपनी राय निकले। मुमकिन है कि कुछ मामलों में इस सदन में यह राय आप पावें कि यह जो ट्रेवलिंग अलाउन्स दिया जाता है वह ट्रेवलिंग अलाउन्स देने के बजाय इसकी क्यों न कोशिश की जावे कि भारत सरकार के मन्त्री, जो रेलवे के हैं उनसे बात करके मुमकिन हो तो पास की प्रथा क्यों न शुरू की जावे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें गौर करना आवश्यक है।

मै यह मानता हूँ, माननीय अध्यक्ष, कि न सिर्फ ट्रेवलिंग के बारे में लेकिन जो माननीय सदस्यों को रेलवे अलाउन्स या मन्थली सेलेरी देने की आज जो प्रथा मौजूद है उसके बारे में भी यह स्टेज आ गई है कि हमें इन पर भी फिर से विचार करना चाहिये और ये सब बातें तभी विचार के लिए ली जा सकती है। हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति देखते हैं। इसमें हम दूसरों के लिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कई प्रकार के सुझाव देते हैं इसको ठीक करने के लिए, खर्चा हर प्रकार का कम करने की कोशिश करने के लिए सरकार को हम कहते है पर इसमें हम विधान सभा के सदस्यों को भी कान्ट्रीब्युशन करना चाहिये और इस प्रकार कुछ लौस भी हमें हमारी सेलेरी और अलाउन्स में आवे तो बर्दाश्त करना चाहिये । यह राय जाहिर करें हम अपनी कि जिस प्रकार से हम और अलग अलग बातों में खर्चे को कम करने के बारे में कानून बनाने की योजना बनाने की सोचते हैं वैसे इस खर्चे में भी कमी की गुंजाइश जहां जहां है वहां वहां हम इसको पूरा करें तो यह राय भी जो है सारे के सारे पहलुओं पर विचार करके तय की जा सकती है ।

मैं निजी तोर पर यह मानने वाला हूँ कि जो सुझाव माननीय मन्त्रीजी ने दिया स्टेट सभा के सिलसिले में वह सिलेक्ट कमेटी के अधिकार की बात नही है और मैं तो यह कहूँगा कि इसको ही परेशान क्यों किया जावे । यह भी सही है कि सदन के भी अधिकार की बात नहीं है क्योंकि इसका मामला तो भारत सरकार का है इसलिये यह दरख्वास्त मैं करूंगा इस बारे में कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी भारत सरकार के मन्त्री से सलाह मशविरा करके, ऐसा कोई सुझाव हो तो उस पर वह भी गौर करें । पर अगर हम इस वक्त जल्दी में निर्णय करके कोई गलती कर जावेंगे तो यह ठीक नहीं होगा । तो यह गलती न करें । बाकी सब क्लॉजों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है । इसलिये काम्प्रीहैन्सिव Comprehensive अमेन्डमेन्ट बिल लाने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जावे । इसमें यह भी बात है कि खर्चा कम होने की गुंजाइश भी है, ऐसी स्थिति भी हम निर्माण कर सकते है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो संशोधन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खा है, उसका समर्थन करता हूँ और इस बात को माननीय मन्त्रीजी मान लेंगे कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ । पर ऐसा उनका उत्तर आने पर ही पता लगेगा ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मेरे मित्र श्री जवानसिंह ने अमेंडमेंट मूव किया है उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ । हालांकि मेरी मंशा यह थी कि यह बिल आज ही एक्ट का रूप धारण कर लेता, पर चूंकी जैसा कि त्यागी जी ने और लीडर ऑफ दी ओपोजीशन ने अपने विचार प्रकट किये उससे साफ जाहिर है कि इसे आज ही पास नहीं किया जाना चाहिये मैं भी अपने विचार इसी प्रकार प्रकट करना चाहता हूँ कि यह बिल एक अहमियत रखता है और इस पर हमें ठीक तरह से सोच विचार करके बाद में इसे पास करना चाहिये। तो जो लॉ मेकर हैं वे ही लॉ बेकर हो जावें । आते तो वे थर्ड क्लास में है पर किराया सैकिन्ड का लेते हैं हमें इस पर भी विचार करना होगा और यह कोई छोटी बात नहीं है । तो बहुत से ऐसे भी माननीय सदस्य हमारे में आज भी हैं जो थर्ड क्लास में ही ट्रेवल करना उचित समझते हैं और ऐसे बहुत से

[श्री खेतसिंह]

एरिस्ट्रोकेट्स भी है जो सैकिन्ड में ही आना पसन्द करते है। तो यह अपना अपना मत है। पर सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार से एक डिफिकल्टी और आती है। चार रोज की छुट्टी हो जाती हैं तो पार्लियामेन्ट में ऐसा है, मेरे खयाल से, कि छुट्टी पर आते हैं तो उनको टी. ए. मिलता है और जल्दी से अगर आने का होता है तो एयर का भी पास मिलता है, पर हमारे यहां ऐसा हैं कि अगर कोई एक रोज भी एब्सेन्ट रह जाता है काम होने की वजह से या और किसी वजह से तो चार रोज का टी. ए., डी. ए. मिलना तो दूर रहा एक भी दिन का नहीं मिलता। तो इसलिये हम इसको भी तय करें कि पार्लियामेंन्ट में है इस तरह से किया जावे या कम किया जावे। इसको भी तय करना उचित होगा।

इसके अलावा लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन की सेलेरी का सवाल है। यह भी आवश्यक सी चीज है क्योंकि लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन की पोस्ट भी अहमियत की पोस्ट है।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर की आवाज)

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लीडर ऑफ दी अपोजीशन को भी सेलेरी मिलनी चाहिये ताकि कांग्रेस पार्टी को भी कभी वे एट होम पर बुला लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Congress Party is not a part of the sanyukta dal.

श्री अध्यक्ष—This is due to past affiliations!

(हंसी)

श्री खेतसिंह—इसलिये मैं इस विचार का भी हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे और इस पर विचार करके इसके बाद में इस पर बहस की जावे, ताकि बाद में हमको परेशानी न हो।

श्री अध्यक्ष—इसको पास करना है तो फिर कल ले लें? आज तो कॉन्स्टीट्यूशन का एक संशोधन स्वीकार करना और रह गया है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—कल सेशन तो होगा ही क्योंकि एक रिजोल्युशन मुझे रखना है।

श्री अध्यक्ष—That is necessary to be passed in this House.

[श्री अध्यक्ष] .

इस पर और बहस करनी है तो आज कर लें, वरना कल बहस के लिए वक्त नही मिल सकेगा। कल जवाब के लिए रखेंगे।

Take the sense of the House.

(विराम)

There should be no dispute about this.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The points which have been raised here from the Opposition side, we would like the Chief Minister to...

श्री अध्यक्ष—The Chief Minister is deemed to have been present in this House always.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is true that somebody is representing him in the House, but at present he is not in the know of the entire proceedings...

श्री अध्यक्ष—His colleagues have made him fully conversant.

श्री जयनारायण व्यास—I am part of the whole and whole of the parts !

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am not contesting that. But I only want to say that since he was not present in the House of course I dare say that he was on a more important mission, but the details we cannot expect him to know unless he reads the entire proceedings.

श्री अध्यक्ष—और कोई मेम्बर बोलना चाहें तो बोल लें। कल जवाब के लिए रखेंगे। We can take half an hour more.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Is there any difficulty in sending it to the Select Committee ? Then we can confer...

श्री जयनारायण व्यास—इसे कल ही कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और कान्स्टीट्यूशन के बारे में जो अमेन्डमेंट है उसको पहले ले लें। इस पर कल विचार कर लिया जावे जैसा

[श्री जयनारायण व्यास]

कि लीडर ऑफ-आपोजीशन ने कहा । इस प्रकार से कोई विचार करने की बात हो तो भी विचारा जा सकता है । तो आज इस पर विचार स्थगित रखा जावे और कान्स्टीट्यूशन के बारे में जो अमेंडमेन्ट है वह आज ले लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष—I have no objection.

भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची में संशोधन करने सम्बन्धी संकल्प

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move, "That this House ratidies the Amendment to the Seventh Schedule to the Constitution of India proposed to be made by the Constitution of (Third Amendment) Bill, 1954, as passed by the two Houses of the Parliament. "

यह बिलकुल एक औपचारिक बिल है और इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में इसके बारे में काफी कहा जा चुका है । मैं समझता हूं कि इसके विषय में मुझको खास तौर से व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है । मैं आशा करता हूं कि कोई एतराज किसी को हो तो मैं उसका स्पष्टीकरण करूंगा । अन्यथा इसको पास कर दिया जावे ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी मेरे मित्र माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रेटीफिकेशन के लिए जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने, पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने, कॉनस्टीट्यूशन के आर्टीकल ३३ में संशोधन किया है उसको रेटीफाई करने के लिए एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है । इसके एस्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को अगर पढ़ा जाय तो किस मतलब से और किस ध्येय से लोक सभा ने यह संशोधन पास किया है और क्यों इस विधान सभा के सामने आया है, यह साफ हो जायगा । जहां तक मेरा ख्याल है इस पर ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मल एमेंडमेंट रेटीफिकेशन के तौर पर सदन के सामने आया है जिसे इस हाउस को स्वीकार कर लेना चाहिए और रेटीफाई इसको कर लेना चाहिए । इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें केन्द्र को किसी न किसी रूप में अपना हाथ रखना आवश्यक है । और यह नेशनल इन्ट्रेस्ट के लिए कार्यवाही की गई है, और यह इसलिए की गई है कि हमारे कॉन्स्टीच्यूशन को ४-५ साल होने वाले हैं, और उसके पहले पहले अगर उन्हें अधिकार और भी लेना है कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए, उत्पादन के लिए तो ले लें, इसलिए यह संशोधन लोकसभा ने पास किया है । और इसमें कोई वाद अथवा विवाद का विषय नहीं रह जाता है और फोर्मल तौर पर सदन के सामने आया है । मैं आशा करता हूं कि इस तरफ और उस तरफ माननीय मित्र बगैर इस सदन का समय लिये ही इसको पास कर दें तो कोई आपत्ति नहीं

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

होगी। जहां तक आवश्यकता का सवाल है यह इसमें होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर) आप बोलेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रश्न आज हमारे सामने है वह संविधान के अनुच्छेद ३३ के संशोधन के सिलसिले में नहीं है, बल्कि शिड्यूल ७ की लिस्ट ३ यानी कन्करेन्ट लिस्ट जो है उस कन्करेन्ट लिस्ट की एन्ट्री नं० ३३ को सब्स्टीट्यूट करने के सिलसिले में है। ओरीजिनल जो एन्ट्री थी उसके मुताबिक भारत सरकार को या पार्लियामेन्ट को "trade and commerce in production, supply and distribution of the products of industries where control..." etc. etc. इस प्रकार के अधिकार थे। केवल उद्योगों के सिलसिले में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार था और किसी चीज के बारे में नहीं था और कोई चीज कन्करेन्ट लिस्ट में शुमार नहीं की जा सकती जिसके ऊपर राज्य सरकार का भी अधिकार है और पार्लियामेंट का भी अधिकार है। अब जो संशोधन है उस संशोधन के मुताबिक एन्ट्री नं० ३३ सब्स्टीट्यूट होकर नई ३३ वीं एन्ट्री हो जायगी और उस एन्ट्री के मुताबिक इन्डस्ट्री की प्रोडक्ट्स के सिलसिले में कानून बनाने का पार्लियामेंट को अधिकार है ही लेकिन इम्पोर्टेड गुड्स ऑफ दी सेम काइन्ड हैं उनके सिलसिले में भी कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी यह फन्क्शन एन्लार्ज किया जा रहा है। उसके अलावा फूड स्टफ्स, केटल फोडर और रॉ कोटन और रॉ जूट हैं, इन वस्तुओं के सिलसिले में भी ए, बी, सी, डी और ई जोड़ कर उनको इन्क्लूड करके यह भी अधिकार का एक्सटेन्शन किया जा रहा है।

हम जब इसको पास करें तो यह उचित बात है कि आप इसको सही मानें व पास करें या गलत मानें और विरोध करें, लेकिन यह तो मैं कम से कम ठीक नहीं समझता कि हम यह समझें कि यह एक फोर्मल बात है; जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, यह फोर्मल बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि यह फोर्मल बात है। जहां तक पार्लियामेंट को कुछ २ मामलों में कन्करेन्ट जुरिस्डिक्शन देने की बात है, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और तीसरी कन्करेन्ट लिस्ट है, उस कन्करेन्ट लिस्ट में जो आइटम्स एड करने हैं, उसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को उन बातों, यानी उन चीजों के सिलसिले में लेजिस्लेट करने का अधिकार देना है।

इस संशोधन पर विचार करते समय पहला सवाल यह उठता है, माननीय अध्यक्ष, कि जब संशोधन को रखें तो हमारा रुख क्या होना चाहिए। ऐसा लगातार होता आरहा है कि कुछ २ विशेष आइटम के ऊपर तो संविधान में संशोधन जल्दी २ पास हो जाते हैं लेकिन कुछ आर्टिकल्स, एन्ट्री नं० ३३, नहीं। आर्टीकल ३१ के बारे में संशोधन नहीं मालूम क्योंकि वह अभी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तक आर्काइव्ज में पड़ा हुआ है। यह पार्लियामेंट में विचार का विषय बन गया था कि हम विधान को पीसमील में संशोधित करें या बाकायदा विचार करके इसमें संशोधन किया जाय। इस मायने में यह जो पीसमील संशोधन किये जा रहे हैं, मैं तो उसका कम से कम हामी नहीं हूँ, और इस बात को भी कहता हूं कि एक संशोधन आर्टीकल ३१ के सिलसिले में मोजूद है, जिसको लाया जाना चाहिए था; लेकिन जिसको लाया नहीं जारहा है। यह एक अहम बात है, जिसको बगैर गौर किये नहीं छोड़ सकते।

अब रही बात यह कि ५ साल के पहले, पांच साल करीब करीब पूरे होने आ रहे हैं तो जो फूड स्टफ्स, केटल फोडर, रॉ काटन, कोटन सीड्स इत्यादि, इत्यादि पर २५ जनवरी, १६५५, के बाद इनके ऊपर कन्ट्रोल रखने का कोई कायदा पार्लियामेंट के हाथ में नहीं रहेगा, उस स्थिति को देखते हुए क्या हम उन वस्तुओं के बारे में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दें अथवा नहीं दें। इस मायने में मुझे यह जो संशोधन है वह कोई एतराज काबिल नहीं लगता। यह ऐसी वस्तुएं हैं जिनका ताल्लुक देश की अर्थनीति से हैं, वह एक इलाके की अर्थनीति से नहीं है। यह ऐसी वस्तुएं हैं जो आवश्यक हैं, इसमें दो राय नहीं हैं। इस वजह से इन सब चीजों को कन्करेंन्ट लिस्ट में जोड़ दिया जाय और इम्पोर्टेड गुड्स ऑफ दी सेम काइन्ड एज़ सच प्रोडक्ट्स; इनके बारे में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार दिया जाय तो मुझे कोई ऐतराज के काबिल बात नहीं मालूम होती है। इसलिए जहां तक यह सब्स्टीट्यूशन प्रोपोज़ किया गया है वह तो ठीक है, लेकिन संशोधन करने के बारे में जो आम तौर पर रुख अपनाया जा रहा है वह ठीक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम यह सदन इस प्रस्ताव को मन्जूर करते हुए कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, थर्ड एमेंडमेंट, कन्स्टीट्यूशन में तीसरा संशोधन करने वाला यह बिल है इसको पास करते समय यह राय इसमें जाहिर करनी चाहिये कि कन्सोलिडेटेड एमेंडमेंट किया जाय। यह हुई एक बात और दूसरी बात यह है कि जिस एमेंडमेंट की आवश्यकता है, आर्टीकल ३१ है जिसमें किसी की प्रापर्टी को पब्लिक इन्ट्रेस्ट में ले नहीं सकते, जिसकी वजह से कई कई कानून सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से अल्ट्रा वायर्स करार होते हैं, उन चीजों के बारे में तुरन्त संशोधन प्रस्तुत किया जाय। यह संशोधन उस प्रस्ताव में दर्ज करके राजस्थान विधान सभा एन्डोर्स तो करे लेकिन साथ साथ अपनी राय भी पार्लियामेंट के पास भेजे। ऐसा मेरा सुझाव है और मुझे उम्मीद है कि इसको एन्डोर्स करने के सिलसिले में यह प्रस्ताव पास किया जा रहा है या प्रस्ताव पास किया जायगा उसमें इस संशोधन को मन्जूर करने के साथ साथ और जो दो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनको उस राय में शुमार कर दिया जायगा। यही बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं जिसका नाम है कॉन्स्टीट्यूशन का थर्ड एमेंडमेंट बिल।...

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, यह बिल जैसा फोर्मल है वैसा फोर्मल श्री हरिकृष्णजी ने अपने भाषण में इसको नहीं समझा है, लेकिन अपने व्यवहार में समझा है।

[श्री जयनारायण व्यास]

यदि यह फोर्मल नहीं होता तो शायद कोई अमेन्डमेन्ट लाते। हां, यह बिल नहीं है बल्कि रिजोल्युशन है, लेकिन रिजोल्यूशन के साथ बिल भी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस रिजोल्यूशन पर मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है।

श्री जयनारायण व्यास—आपने सलाह दी है। अमेन्डमेन्ट और सलाह में थोड़ा फर्क होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अमेन्डमेन्ट अब लिख कर दे दूं।

श्री जयनारायण व्यास—आपने इतना सीरियस इसको समझा नहीं है इसलिये मेरा ख्याल पड़ता है कि सिर्फ कुछ कहना चाहिये इसलिये आपने कुछ कहा है। दर असल में जैसा कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में बताया है कि कांस्टीट्युशन के आर्टिकल ३६९ के नीचे जब से कांस्टीट्यूशन शुरू हुआ है उसके बाद ५ वर्ष तक कुछ असेन्शियल कोमोडिटीज़ के बारे में जैसे रूई, ऊन, कोयला, लोहा, स्टील वगैरह जो हैं उनको यूनियन-कंट्रोल में रखने का अधिकार है और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं सेन्ट्रल लेजिस्लेचर से even after Article 369 lapses on the 1st of January, 1955 दूसरे जो खास पदार्थ, जैसे फूड स्टफ, केटल फोडर, रॉ कोटन, कॉटन शीड़ है they would after that date be outside the Legislative authority of the Parliament. इस समय फूड स्टफ और केटल फोडर के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेन्ट्रल पार्लियामेंन्ट ने यह वाजिब समझा है कि उन पर कंट्रोल नहीं करना बड़ी दिक्कत की बात होगी। कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें सेन्टर को फिर से कंट्रोल रखना पड़ेगा इसलिये लीगल पॉवर्स हाथ में रखना जरुरी हैं। पहले भी कंट्रोल रखने की बात थी। अध्यक्ष-महोदय, जब मैं पालियामेंन्ट का मेम्बर था तो उस समय कम्युनिस्ट मेम्बरर्स की तरफ से बड़ा कन्वेसिंग किया गया था उन चीजों पर कंट्रोल करने के लिये, ताकि गरीबों को तकलीफ न हो और मैं भी उन लोगों में से हूँ कि जिनके ऊपर असर पड़ा। कंट्रोल थोड़ा बहुत जरूर रखना चाहिये, नहीं तो शायद पैसेवाले कुछ गड़बड़ कर देगें। कुछ बातों में सही था कंट्रोल का रखना। उनके ऊपर हमारा कंट्रोल जितना चाहिये था उतना नहीं रहा और आगे जाकर कुछ खराबियां पैदा हुई। लेकिन अब उन खराबियों का काफी अनुभव हमें हुआ है और कंट्रोल धीरे धीरे स्थगित किया गया है। हाथ में गुंजाइश रखना जरूरी है क्यों कि फर्ज करलो कि हमारे यहां पानी की दिक्कत मिट गई और फूड स्टफ में कमी की संभावना खत्म हो गई, लेकिन उसके खत्म होने के बाद और स्थिति पैदा हो जाती है तब उन चीजों पर फिर से कंट्रोल रखना जरूरी हो जाता है। ऐसी सूरत में कंट्रोल रखना हमारे हाथ में रहना चाहिये। ऐसी हालत में और दूसरी चीजों पर भी वही दलील लागू होती है। मैं समझता हूं कि यह जो सुझाव दिया गया है वह ठीक है, कुछ चहल पहल पैदा करने के लिये ही दिया गया है। मैं आपके सुझाव को सहर्ष अस्वीकार करना पसन्द करूंगा और अध्यक्ष

[श्री जयनारायण व्यास]

महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को जिसमें कन्करेन्ट पॉवर्स देने के पॉवर्स हैं, स्वीकार करें और शिड्यूल में परिवर्तन कर दिया जाय। क्योंकि समय कम है और दूसरी स्टेट्स द्वारा भी स्वीकार करने की जरूरत है जिसके बिना पार्लियामेंट द्वारा स्वीकार करना मुकम्मिल नहीं होगा इसलिये अपनी स्टेट की तरफ से और विधान सभा की तरफ से जल्दी ही स्वीकृति चली जाय, यही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—संकल्प मैं पढ़ देता हूँ।

"That this House ratifies the amendment of the Seventh Schedule to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Third Amendment) Bill, 1954, as passed by the two Houses of Parliament."

प्रश्न यह है······

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे अमेन्डमेन्ट का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आया है। स्पीच देने के बाद कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रिज़ोल्यूशन ही आज आया है। पहले सर्कुलेट नहीं किया गया था, इसलिये पहले अमेन्डमेंट कैसे दिया जा सकता था ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

प्रश्न यह है कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष—अब हमें कल का समय तय करना है।

श्री जयनारायण व्यास—कल हम साढ़े नो बजे मिलें तो अच्छा रहेगा।

कु० श्री जसवन्त सिंह—जो सदस्य इसमें दिलचस्पी लेना चाहें वे ८. ३० पर आ जावें।

श्री अध्यक्ष—So we rise for tomorrow, adjourn for tomorrow at 9. 30 A. M.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर १५ मिनट पर कल साढ़े नो बजे मध्यान्हपूर्व तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२० अक्टूबर १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

शुद्धि—पत्र

२०-१०-५४

१. कृपया पृष्ठ संख्या ७२६३ की पंक्ति संख्या ६ में 'इस तरह से अरो' के स्थान पर 'इस तरह से और' पढ़े ।

२. कृपया पृष्ठ संख्या ७२८३ के शीर्षक में 'विकय' के स्थान पर 'विक्रय' पढ़े ।

३. कृपवा पृष्ठ संख्या ७३११ के शीर्षक में "१९५४' शुरू में न पढ़ कर 'संशोधन विधेयक १९५४, पढ़े ।